खण्ड-102, अंक-6
शनिवार, 10 ज्येष्ठ, शक संवत् 1874
(31 मई, 1952 ई0)

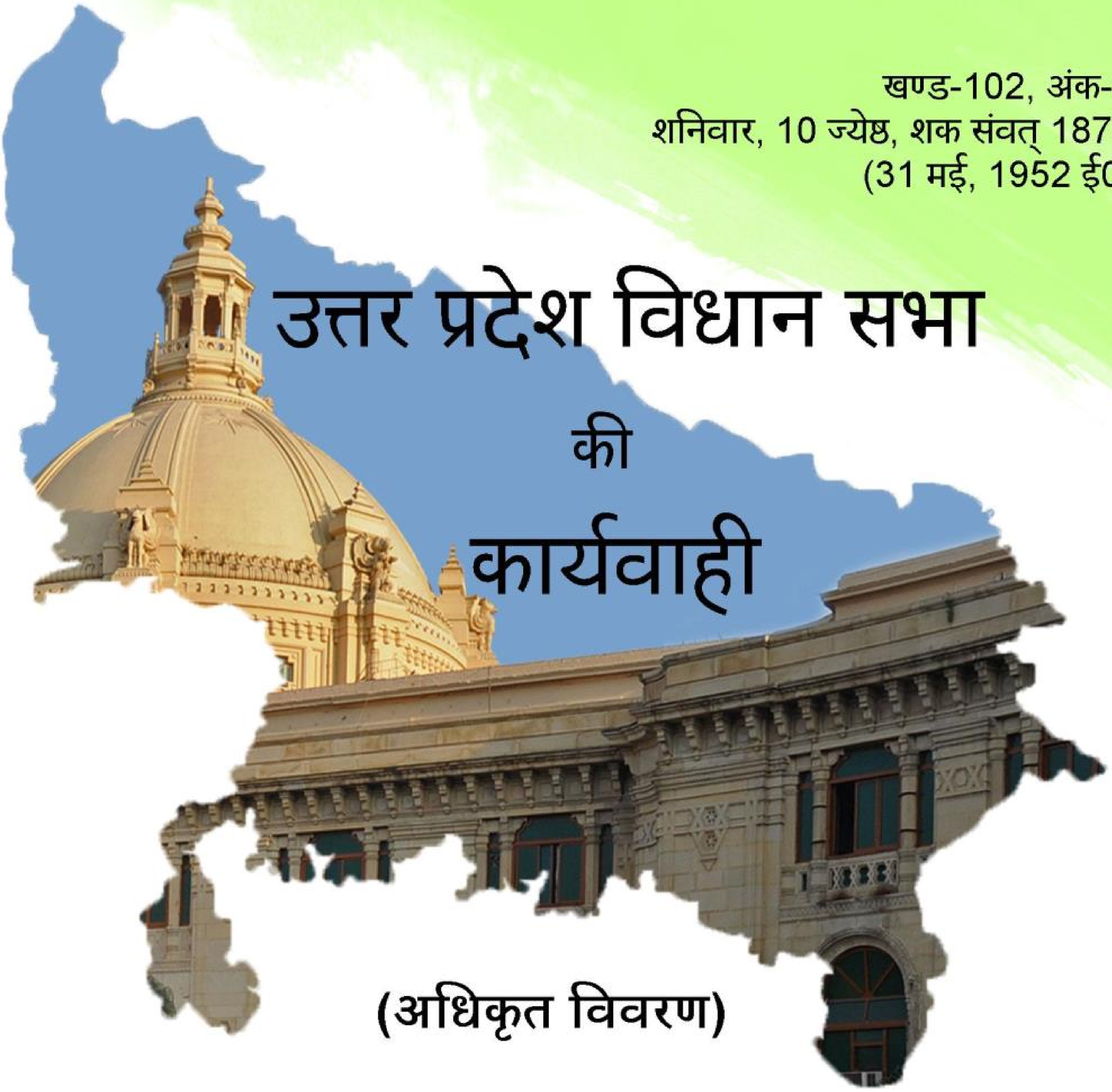

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 102 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, ३१ मई, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में माननीय अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल लतीफ़, श्री मुहम्मद
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, माननीय श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आनन्द स्वरूप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उलफत सिंह चौहान, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, माननीय श्री
कमलासिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किंदर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
खयाली राम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
मज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजा रमण, श्री
गिरधारी लाल, माननीय श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चरण सिंह, माननीय श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मलन, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
टीका राम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन बिजव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धरमसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ, सिंह श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री

संसद पुस्तकालय

बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतदीन, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीपाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फ़र हुसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, माननीय श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुना सिंह यादव, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, कुंवर
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राज किशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदास, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री (कुण्डा)
रामस्वरूप, श्री (दूधी)
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप विशारद, श्री
रामहरष यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धानगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, माननीय श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विशम्भर नाथ पाण्डेय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर सिंह, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
शंकरलाल, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह श्री
श्याम मनोहर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़्फ़ी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, माननीय डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुगनचन्द्र, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हामीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, माननीय श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, माननीय श्री
हेमवन्तीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रसीज़न इंस्ट्रूमेंट फ़ैक्टरी, लखनऊ, के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष—मेरे पास आज एक कामरोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी ने भेजा है। यह प्रस्ताव प्रसीज़न इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी से संबंधित है। यह प्रश्न जो इस कामरोको प्रस्ताव के द्वारा उठाया जा रहा है वह एक तो अरजेन्ट नहीं है और दूसरे नियम के अनुसार इसमें दो चीजें होना चाहिये, यानी वह रिसेन्ट आकरेन्स की हो यानी कुछ समय पेशतर ही कोई चीज़ हो गई हो और कोई खास बात हो। इनका इसमें कोई निर्देश नहीं है। आम तौर पर फैक्टरी के अनियन्त्रण के संबंध में यह प्रश्न उठाया गया है। इसलिये मैं इसको अवैध क़रार देता हूं।

*उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक, १९५२ ई० (क्रमागत)

माननीय अध्यक्ष—अब माननीय न्याय मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

श्री राज नारायण—आदरणीय स्पीकर महोदय, माननीय न्याय मंत्री ने जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया है उस बिल का मंशा है कि वह विधान सभा के सदस्यों को जो किसी खास खास पदों पर जाने से विधान सभा के सदस्य नहीं रह पायेंगे उनके लिये यह जो डिस्क्वालिफिकेशन (अनर्हता) है वह न रहे। हमारे यहां जब विधान में इस बात का निश्चय किया गया कि असेम्बली के सदस्य क्यों किसी खास पदों पर न रहें उसकी खास मंशा थी और मंशा यह थी कि सरकार चाहती थी कि उसकी असेम्बली के सदस्य खास खास पदों पर जाने की वजह से दिन प्रति दिन के शासन में कोई अड़ंगे बाजी न लगायें।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य इसका उचित अर्थ नहीं लगा रहे हैं। इस समय इसमें पदों का सवाल नहीं है। इसमें तो वेतन या एलाउन्स वगैरह का सवाल है

श्री राज नारायण—इसलिये एक वर्ग क्रियेट (उत्पन्न) हो जाय। इससे तो यही था कि सरकार की नीति के कार्यान्वित होने में किसी तरीके की मदद मिलती रहे। तो यह जो उद्देश्य है कि वह आपके सामने प्रस्तुत है उस उद्देश्य में यह लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५२, में अन्य बातों के साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि उसमें निर्दिष्ट लाभप्रद पदों पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे। अधिनियम की धारा २ के खंड "क" में निर्दिष्ट पदों के संबंध में यह घोषणा आरम्भ में अप्रैल, १९५२ ई० तक ही सप्रभाव थी। बाद में यह अवधि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५२, द्वारा ३० जून, सन् १९५२ ई० तक बढ़ा दी गई।

आदरणीय स्पीकर महोदय, हमारे सम्मानित सदस्यों को मालूम होगा कि जब अप्रैल का महीना गुज़र चुका, तो एक आर्डिनेंस निकला जिसके ज़रिये हमको सूचित किया गया कि गवर्नर महोदय ने ऐसे लोगों के लिये, जो किन्हीं कमेटियों के सदस्य थे जो लाभप्रद कही जा सकती थी और जिनके सदस्यों को इस्तीफा दे देना चाहिये था, उनके लिये तारीख बजाय ३० अप्रैल के ३० जून कर दी है। अब उस आर्डिनेंस को क़ानून का स्वरूप देने के लिये यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। जिस उद्देश्य को लेकर यह डिसक्वालीफीकेशन (अनर्हता) का पद बनाया गया था इस बिल से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। जैसा कल हमारे साथी श्री राम नारायण जी ने बतलाया, गत वर्ष पिछली सरकार के ज़माने में ऐसे काम हुये हैं जिनकी

---

*विधेयक २६ मई, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

टीका-टिप्पणी आज सब जगह होती रहती है। ऐसे पद क्रिएट कर (बना) दिये जाते हैं कि जिनमें सैलरी (वेतन) तो नहीं रखी जाती और इसी हाउस की तनख्वाह मिलती है मगर भत्ता और मकान वगैरह दिये जाते हैं और राज्य सरकार उनके परिवहन का भी प्रबंध करती है, अर्थात् उन्हें मोटर देती है। ऐसे पदों पर सम्मानित सदस्यों को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है जिस पर जाकर वह ऐसे भी काम कर सकते हैं जैसे कि उस विभाग का सारा स्रोत उन्हीं के हाथ में नियंत्रित है, जैसे शिक्षा विभाग का। कौन सी पुस्तक किस स्कूल में कब तक चलाई जाय, यह वही निर्णय करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जब हम पढ़ते थे तो एक ही पुस्तक १०, २० वर्ष ही नहीं वरन् दो दो और तीन तीन पुश्तों तक चलती थीं। अब एक ऐसा पद बना दिया गया है कि किन किन पुस्तकों को किन किन प्रेस को दिया जाय और कौन पुस्तकें किन स्कूल और कालिज के लिये दी जावें, यह सब इन्तजाम एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया है। उस व्यक्ति के लिये कोई वेतन नहीं रखा गया। पर क्या वह पद प्राफिट (लाभ) का पद नहीं? मेरी राय में ऐसा पद प्राफिट का है, हालांकि यह प्रश्न कि प्राफिट का पद कौन है बहुत ही विवादास्पद है। जिस पद पर रहने से हम ऐसा काम कर सकते हैं जो चाहे इस समय हमें लाभ न दे, परन्तु जिसका लाभ हमें आगे चलकर हो वह भी प्राफिट का माना जाना चाहिये।

एक सदस्य—तब तो कंस्टीट्यूशन को ही अमेंड (संशोधित) करना होगा।

श्री राज नारायण—हमारे एक सम्मानित सदस्य की ओर से आवाज आ रही है कि फिर तो कंस्टीट्यूशन में ही अमेंडमेंट करना होगा। आप उसके उपबंधों को तोड़ने के लिये यह बिल प्रस्तुत कर रहे हैं। आखिर आपको इस बिल के प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्या है? कंस्टीट्यूशन में जो कुछ बनाया गया था आखिर उसी को तो खंडन करने के लिये आप लोग यह बिल बना रहे हैं। आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं जानता हूं कि जिन सम्मानित सदस्य ने यह बात कही है वह अच्छी तरह जानते हैं कि विधान में क्या बात है। और क्या नहीं है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वह यह सोचें कि बीच में बोल बोल कर किसी वक्ता के धारा प्रवाह को रोकें तो यह काम ठीक नहीं है।

आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं जोर देता हूं कि हमारे न्याय मंत्री जी अच्छी तरह से उन पदों को सोचें और बतलावें कि वे कौन से पद हैं जिन पर वह असेम्बली के सदस्यों को रखना चाहते हैं। सफाई के साथ ये बातें हमारे सामने आनी चाहियें और यह न हो कि एक बिल को प्रस्तुत करके आप हमसे कुछ अधिकार ले लें और उन अधिकारों को फिर बाद में जा करके नाजायज तरीके से इस्तेमाल करें जिससे सदन की मर्यादा भंग हो। जो विधान के जरिये हमारे ऊपर प्रतिबन्ध लगे हैं उन प्रतिबन्धों को अगर हम इस बिल के द्वारा दूर करना चाहते हैं तो यह हमारे लिये कुछ शोभनीय बात नहीं है। प्रतिबन्ध जो लगाये जाते हैं किसी उद्देश्य से लगाये जाते हैं, परन्तु जब प्रतिबन्ध आपके रास्ते में बाधा पहुंचाते हैं तब आप एक बिल उपस्थित कर देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस अनर्हता बिल की क्या आवश्यकता है। आप बताइये कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जिन पर आप चाहते हैं कि इस असेम्बली के सदस्यों को सुशोभित करें जिससे राज काज में लाभ हो।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय सदन के सामने विचारार्थ पेश है अभी उसके संबंध में माननीय विरोधी दल के नेता ने कुछ आपत्ति की और साथ ही आपने माननीय न्याय मंत्री से यह मालूम करने की कोशिश की है कि वे ऐसे कौन से पद हैं जिन को इस बिल के द्वारा हम लेना चाहते हैं जिस से कि डिसक्वालिफिकेशन न हो। साथ ही आपने यह भी बतलाया कि इस विधेयक के द्वारा हम संविधान की जो मंशा

[श्री बनारसी दास]

हैं उससे आगे जाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में कुछ ऐसे पद हैं जिनके बारे में साफ कहा गया है कि वे आफिस आफ प्राफिट (लाभ के पद) नहीं हैं और संविधान में ही इस भवन को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने किसी भी विधेयक के द्वारा अन्य दूसरे पदों के संबंध में नियम बना सकता है। जब हम इस बात को मानते हैं कि इस भवन को पूरा अधिकार है कि वह इस प्रांत का शासन करने के लिये जैसे नियम चाहे बना सकता है, तो इस प्रकार की आपत्ति करना कि हम किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये यहां पर यह विधेयक पेश कर रहे हैं मैं कहूंगा कि स्वयं अपने ऊपर अविश्वास करना है। जब कि हम संविधान के अनुसार अपना नेता चुन सकते हैं, हम अपना मंत्रिमंडल बना सकते हैं और मंत्रिमंडल को इस प्रांत का शासन करने के लिये पूर्ण अधिकार दे सकते हैं तो यदि इस सदन के किसी माननीय सदस्य को हम कोई कार्य देना चाहते हैं तो इसमें कौन सी आपत्ति की बात है।

इस विधेयक की धारा ३ के खंड (२) में साफ तौर से कह दिया गया है कि ऐसा पद हो जो पूर्णकालिक न हो और जिसके लिये कोई वेतन या शुल्क न दिया जाता हो। साथ ही आगे चलकर इस विधेयक की धारा ४ के (ग) के अन्दर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसमें भी यह साफ कर दिया है कि किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अध्यासीन व्यक्ति को उस पर लागू किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अनुसार केवल प्रतिकर भत्ता मिलता हो। फिर आगे चलकर यह भी साफ कर दिया गया है कि जो विधान सभा के सदस्य को भत्ता मिलता है यदि उससे अधिक हो तो वह विधान सभा के सामने आयेगा और उस पर आप को पूरा मत प्रकट करने का मौका मिलेगा। तो मैं नहीं समझता कि विरोधी दल के माननीय नेता किस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं कि कौन से ऐसे पद हैं जिनको इस बिल के द्वारा हम चाहते हैं कि उन पदों के साथ डिसक्वा-लिफिकेशन (अनर्हता) न हो। मैं तो यह समझता हूं कि इस बिल के अन्दर सारी बातें बिलकुल स्पष्ट हैं। केवल इसकी मंशा यही है कि इस प्रांत के कल्याण के लिये यदि विधान सभा के माननीय सदस्यों से कोई सेवा हम लेना चाहें तो उनको कोई पद दिया जा सकता है।

अभी माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ ऐसी बातों की ओर जो इस बिल से सम्बन्ध नहीं रखती थीं इशारा किया। आपने एक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी जो शिक्षा का कार्य करते थे उनका हवाला देते हुये कहा कि पहले जो टेक्स्ट बुक्स होती थीं वे कई-कई साल तक चलती थीं। तो मैं उनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि जहां तक उन विशेष आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी का प्रश्न है उन्होंने टेक्स्ट बुक्स को इस तरीके से नहीं रखा जिसका अभी उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने तो एक बड़ी आवश्यक सेवा की और इस प्रांत को टेक्स्ट बुक्स के द्वारा बहुत रुपयों का लाभ पहुंचाया जो कि पबलिशर्स को होता था। इसके अलावा विद्यार्थियों को काफी सस्ते दामों पर किताबें मिलने लगीं। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि इसका संबंध सेकेंडरी एजुकेशन या युनिवर्सिटी एजुकेशन टेक्स्ट बुक्स से है, परन्तु इसका कोई संबंध इस टेक्स्ट से नहीं है। इसलिये यह तो एक बहुत ही इन्नोसेंट (निर्दोष) विधेयक है और मैं समझता हूं कि इस पर अधिक वाद-विवाद करके देर लगाना इस सदन के समय का कुछ दुरुपयोग करना है। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को, जिसका सिद्धांत ऐसा नहीं है जो संविधान से विरोध करता हो, सर्व सम्मति से बिना किसी वाद विवाद के स्वीकार किया जाना चाहिये।

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर (न्याय मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल यह है कि विरोधी दल की तरफ से जो तक़रीरें हुई हैं वे ग़ालिबन एक ग़लत फहमी के ऊपर मबनी हैं। इसकी वजह से वे यह समझ रहे हैं कि यह क़ानून कोई ऐसी चीज हमारे दरमियान में पैदा कर देगा जिसकी वजह से आइन्दा चल कर गवर्नमेंट नाजायज फायदा उठाने

की कोशिश करेगी। वाक़या यह है कि आफिस आफ प्राफिट के मुताल्लिक जो उसूल है वह हमने इंगलिस्तान से लिया है। वहां एक ज़माने तक बादशाह में और पार्लियामेंट में बहुत झगड़ा रहा करता था। बादशाह यह चाहा करता था कि पार्लियामेंट उसके क़ाबू में रहे और पार्लियामेंट हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि वहां की पार्लियामेंट के मेम्बर बादशाह के असर में न जाने पायें। उस ज़माने में ऐसी तकर्रुरी करके बादशाह यह चाहा करता था कि पार्लियामेंट की अक्सरियत को तोड़ लें और उसको अपने साथ मिला लें ताकि पार्लियामेंट ऐसे क़ायदे और क़ानून बना दे जिन्हें बादशाह चाहता था। कई सदियों तक यह लड़ाई वहां जारी रही और इसको रोकने के लिये कि पार्लियामेंट के मेम्बरों के ऊपर कोई नाजायज़ असर बादशाह का न पड़ने पाये इस किस्म का रिवाज वहां जारी हुआ और उसके ऊपर अमलदरामद होता रहा। मगर वहां की उस हालत में जिसमें बादशाह पार्लियामेंट की मेजारिटी (बहुमत) को अपने माफिक बनाना चाहता था और आज जो हालत हिन्दुस्तान में है बहुत ज्यादा फर्क़ है। यहां कोई इस किस्म का अंदेश नहीं है। यहां न तो कोई ऐसी मुस्तकिल पावर है जो यह चाहेगी कि यहां की अक्सरियत को कम कर दें, क्योंकि यहां के लेजिस्लेचर्स तो वही हैं जिनको चुन कर जनता अपना नुमाइन्दा बनाती है और यहां की गवर्नमेंट भी वही होती है जो जनता द्वारा चुनी हुई अक्सरियत में होती है। तो ऐसी सूरत में कोई इस किस्म का अन्देशा करना कि यहां की गवर्नमेंट किसी को कोई ऐसा ओहदा देकर जो आफिस आफ प्राफिट हो अपनी तरफ तोड़ लेगी मेरे खयाल में बिलकुल ग़लत है।

आजकल के ज़माने में इसका कोई वजूद हो ही नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट जो जनता की चुनी हुई गवर्नमेंट है कोई ग़लत कार्यवाही करती है, तो हज़ारों तरीके ऐसे हैं कि आप उसके ख़िलाफ किसी न किसी तरीके से अपने असर को डालें और उस गवर्नमेंट को निकाल दें। फिर चुनाव होगा और चुनाव में जो गवर्नमेंट अक्सरियत में आयेगी उसको हुकूमत चलाने का अधिकार होगा। तो यहां पर कोई मुस्तकिल बादशाहत नहीं है, पावर ऐसी नहीं है कि जिसमें और जनता में किसी किस्म का इख्तलाफ हो और जिसमें अन्देशा हो कि बादशाह को हटा नहीं सकते और बादशाह अपना असर डालकर और जनता के नुमाइन्दों को मिलाकर जनता के खिलाफ कोई क़ानून पास करा देगा और ऐसे अधिकारियों को मुकर्रर कर देगा जिससे जनता को नुक्सान पहुंचेगा और अक्सरियत भी नहीं रहेगी। इन सब बातों का वजूद जब कि ओहदों पर शक किया जाता था ऐसे ज़माने में इंगलिस्तान में था जबकि वहां एक ऐसा बादशाह हुआ जिसके हाथ में कोई अख्तियार नहीं था और वह जमा हुआ था और मदाख़लत करना चाहता था जनता के अख्तियारात में।

अब वह ज़माना नहीं है। अब इंगलिस्तान में भी जब पार्लियामेंट में उनको ज़रूरत होती है तो वह एक कानून पास कर देते हैं और यह कह देते हैं कि यह जो ओहदा हमने दिया है वह आदमी डिसक्वालिफाइड (अनर्ह) नहीं होगा। जो आदमी वाकिफ़ हैं मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से तो उन्हें मालूम होगा कि सन् १९४१ में इस किस्म का भी कानून पास हुआ है कि फलां अफसर जो हमने मुकर्रर किया है इस ओहदे पर, वह उस ओहदे के लेने की वजह से डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा और यह कोई नाजायज़ चीज़ नहीं होगी और मिस्ल पहले के मेम्बर रहेगा और इस तरह से आये दिन वहां पर क़ानून पास हुआ करते हैं। किसी को उन्होंने बोर्ड का मेम्बर मुकर्रर कर दिया और उसमें कुछ थोड़ा सा मुआविज़ा नामिनल सा (नाममात्र का) और वह उसने हासिल किया और जो पुराना क़ानून बना हुआ है उसकी रू से अचर यह अन्देशा हुआ कि वह डिस्क्वालिफाइड होता है तो फौरन कानून ले आये और उसमें कह दिया कि यह जायज़ है। उसके बाद उन्होंने यह कर दिया है कि बहुत सी कमेटियों और ओहदों के नाम लिख दिये हैं कि जो जो ऐसे ओहदों को होल्ड (धारण) करेंगे वह डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे और उनको अख्तियार है कि वह होल्ड करें। क्योंकि अब वह

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

अन्देशा बाकी नहीं रहा इसलिये यह अख्तियारात निहायत आसानी के साथ वहां भी इस्तेमाल हो रहे हैं और सिर्फ यही नहीं खुद हमारे मुल्क में जो और सूबे हैं उन्होंने तरह तरह के अपने यहां इस किस्म के कानून पास किये हैं जिनमें उन्होंने वही किया है जो लगभग वैसा ही है जैसा हमारे यहां किया जा रहा है। मध्यभारत है, मैसूर है, सौराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है और इसी तौर से मुख्तलिफ सूबों में आप देखेंगे कि ऐसे कानून पास होते रहे हैं। चुनांचे वही तरीका हमने भी अपने यहाँ अख्तियार किया है और जो हमने कानून पेश किया है उसका प्राविजन आर्टिकल १९१ जो कांस्टिट्यूशन का है उसमें किया गया है और आर्टिकिल १९१ की रू से हम यह कानून बनाने जा रहे हैं। उस आर्टिकल के अल्फाज यह हैं--

"A person shall be disqualified for being chosen as, or for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State, if he held any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the first schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder."

[कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा। यदि वह भारत सरकार के अथवा प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना उस राज्य के विधान मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुये है।]

इसके मानी यह हैं कि लेजिस्लेचर को यह अख्तियार है कि वह कानून के जरिये से तय कर दे कि जो फलां किस्म का आफिस होल्ड कर रहा है वह डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। चुनांचे इसी के मुताबिक हमको यह जरूरत पड़ी कि हम यह कानून आपके सामने पेश करें। अब यह जो कानून पेश है इसमें हमने क्या लिखा है। आप देखेंगे कि एक जुज तो इसका यह है जिसमें हमने कानून में कुछ नई दफात लिख दी हैं क्योंकि यह दूसरा कानून है। एक कानून सन् १९५२ का पास हो चुका है। और अब यह दूसरा कानून पास करने जा रहे हैं। इसकी दफा २ में कम्पेनसेटरी एलाउन्स (प्रतिकर भत्ता) की तारीफ कर दी है। उसके मानी हैं ट्रेवलिंग एलाउन्स, डेली एलाउन्स, हाउस रेण्ट एलाउन्स या कनवेयेन्स एलाउन्स जिस में सरकारी कन्वेयेन्स भी शामिल है और उसी के बाद दफा ३ में लिखा गया है कि इस तरह के जो आफिस होंगे वह ऐसे नहीं होंगे कि जिनको लेने पर आदमी डिस्क्वालिफाइड हो जाय। यह रखने की इसलिये जरूरत पड़ी कि अब तक डिप्टी मिनिस्टर का आफिस नहीं था इस लिये यह लिखना पड़ा कि--

"An office which is not a whole-time office and is not remunerated either by salary or fees."

[कोई ऐसा पद जो पूर्ण कालिक पद न हो और जिसके लिये कोई वेतन या शुल्क न दिया जाता हो।]

यह इसलिये लिखा गया कि ऐसी हालत में वह नौकर नहीं होगा। लेकिन अगर वह साथ साथ थोड़ा वक्त देना चाहता है और उसको कोई फीस या सैलरी नहीं मिलती है तो उसके लिये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। इसकी दफा ४ में पुराने ऐक्ट को तरमीम किया गया है और उसकी पुरानी दफा २ में तरमीम की गई है। उसमें यह था कि--

"It is hereby declared that the following offices under the State Government shall not disqualify and shall be deemed never to have disqualified

the holders thereof for being chosen as or for being members of the Uttar Pradesh Legislature :

(*a*) the office of Chairman or member of any committee or board appointed by or under the orders of the Government of India or of the State Government, including any committee or board constituted or established by or under any enactment or rule held for any period not extending beyond the 30th day of April, 1952,

(*b*) the office of Lambardar mentioned in section 45 of the U. P. Land Revenue Act, 1901,

(*c*) the offices of Padhan, Sargroh and Malguzar in Kumaun Division village Siana or Khat–Siana in Jaunsar Bawar pargana of Dehra Dun district ....."

[एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित पदों के कारण उनपर अध्यासीन व्यक्तियों की उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्हता न होगी और न कभी रही समझी जायगी—

(क) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की आज्ञा के अधीन या उसके द्वारा नियुक्त किसी कमेटी या बोर्ड के, जिनके अन्तर्गत किसी विधाय या नियम के अधीन या उसके द्वारा संघटित या स्थापित कोई कमेटी या बोर्ड है, चेयरमैन या सदस्य का पद जो ऐसी अवधि के लिये अध्यासित रहा हो, जो ३० अप्रैल, १९५२ के बाद की न हो,

(ख) यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ४५ में उल्लिखित लम्बरदार का पद,

(ग) कुमायूं डिवीजन में पधान, सरगरोह और मालगुज़ार, देहरादून जिले के जौनसार बावर परगने में गांव सियाना या खात—सियाना।]

श्री राज नारायण—माननीय मंत्री जी सेक्शन पढ़ रहे हैं और जब यह क्लाज बाई क्लाज (खंडशः) डिस्कस होगा तो फिर इस पर डिबेट हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष—माननीय मंत्री अपने को सिद्धांतो पर ही सीमित रखें।

माननीय श्री सैयद अली जहीर—पुराने ऐक्ट का हवाला इसीलिये दे रहा हूं कि इस में दफा ४ में तरमीम की गई है और यह अल्फाज जो हैं कि :

"For any period not extending beyond the 30th day of April, 1952."

[ऐसी अवधि के लिये जो ३० अप्रैल, १९५२ के बाद की न हो।]

यह इसी वजह से रखे गये थे कि खयाल यह था कि नया लेजिस्लेचर अप्रैल से पहले आ जायगा लेकिन उस के आने में देर हुई। इसलिये अब तारीख बढ़ानी पड़ी। इसी वजह से यह अल्फाज निकाल दिये गये हैं। उसके बाद एक प्राविजो (परन्तुक) बढ़ाया गया है कि

"Provided that the holder is in receipt merely of compensatory allowance in accordance with any general or special order applicable therets"

[माननीय श्री सैयद अली जहीर]

[किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अध्यासीन व्यक्ति को उस पर लागू किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अनुसार केवल प्रतिकर भत्ता मिलता हो।]

तो आप देखेंगे कि सिर्फ यह प्राविजन किया गया है कि अगर कोई सदस्य ऊपर के आफिस होल्ड करते हैं तो उनको कम्पेनसेटरी एलाउन्सेज जिनका मैंने जिक्र किया वह दिये जायें और वह नाजायज न होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि एक दफा और बढ़ाई जा रही है और अगर आप उस को पढ़ें तो वह तमाम शकूक जो उठाये गये हैं उनको रफा कर देती है और मैं समझता हूं कि अगर उसको समझा जाय तो विरोधी दल के लोगों को कोई शक बाकी न रहेगा। वह यह है--

"Every order referred to in clause (*a*) of sub-section (1), unless it is an order allowing the holder to draw travelling allowance or daily allowance at rates not exceeding those applicable to members for attending meetings of the Uttar Pradesh State Legislature, shall be laid for not less than three days before the Legislative Assembly as soon as may be after the appointment has been made and shall be subject to such modification as the said Assembly may make during the session in which it is so laid; the modification shall take effect from the date it is so made."

उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट प्रत्येक आज्ञा, जब तक कि वह कोई ऐसी आज्ञा न हो जिसके द्वारा अध्यासीन व्यक्ति को ऐसे दरों पर यात्रिक भत्ता या दैनिक भत्ता लेने की अनुमति दी गयी हो, जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की बैठकों में उपस्थित होने के लिये उसके सदस्यों के लिये नियत दरों से अधिक न हो, विधान सभा के समक्ष नियुक्ति के बाद यथासम्भवशीघ्र कम से कम तीन दिन तक रक्खी जायगी और ऐसे परिष्कार के अधीन होगी जिसे विधान सभा उस सत्र में करे जिसमें वह उक्त प्रकार रक्खी गयी हो। ऐसा परिष्कार पर उस दिनांक से सप्रभाव होगा जिस पर वह किया जाय।]

आप देखेंगे कि यहां यह प्राविजन कर दिया गया है कि अगर किसी को कम्पेनसेटरी एलाउन्स दिया जाता है तो गवर्नमेंट के लिये यह लाजिमी होगा कि वह उसके नाम को असेम्बली के सामने रखे कि उस को क्या देने जा रहे हैं। लेकिन इस की जरूरत उस हालत में नहीं होगी जब कि उसको डेली एलाउन्स और ट्रेवलिंग एलाउन्स वगैरह उतना ही दिया गया है जितना कि उसके लिये मुकर्रर किया गया है। लेकिन अगर हम उसके अलावा कोई भी एलाउन्स देते हैं तो गवर्नमेंट के लिये लाजिमी है कि वह ३ दिन के लिये लेजिस्लेचर के सामने इत्तिला के लिये पेश करे और अगर लेजिस्लेचर चाहे तो उसमें तरमीम भी कर सकता है। और जो तरमीम लेजिस्लेचर कर देगा गवर्नमेंट उसकी पाबन्दी करेगी और उसको उस तरमीम के साथ रखा जा सकता है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसकी वजह से किसी के दिमाग में कोई शक पैदा हो कि गवर्नमेंट की यह नियत है कि वह इसकी वजह से कोई नाजायज फायदा उठाये। ऐसी सूरत में जो एतराज किया गया है विरोधी दल की तरफ से वह गालिबन इस वजह से है कि इसके जो मुख्तलिफ प्राविजन्स थे उनको अच्छी तरह से समझा नहीं गया और न इस उसूल को समझा गया जिसकी बिना पर पुराने जमाने में आफिस आफ प्राफिट पर एतराज हुआ करता था। अब न वह

जमाना है, न वह बातें हैं। डेमोक्रेटिक रूल है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और हम जो कुछ करेंगे जैसा इस ऐक्ट में लिखा हुआ है उसके मुताबिक करेंगे। उसको हाउस की इत्तिला के लिये हाउस के सामने पेश कर देंगे, हाउस उसे मंजूर करेगा तभी वह चीज़ जारी रहेगी। अगर कोई मंजूर नहीं करेगा, एतराज़ करेगा तो वह बदल दिया जायगा। मेरे ख़याल से इस तशरीह के बाद इस बिल को मंजूर होना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १–५

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक, १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५२ ई० में संशोधन करने तथा कुछ पदों के संबंध में यह घोषित करने के लिये कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५२ ई० में संशोधन किया जाय तथा कुछ लाभप्रद पदों के संबंध में यह घोषित किया जाय कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, प्रसार और आरम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषा।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में "प्रतिकर भत्ता" (कम्पेंसेटरी एलाउन्स) का तात्पर्य यात्रिक भत्ता, दैनिक भत्ता, मकान के किराये का भत्ता या परिवहन भत्ता से है और उसमें वह परिवहन भी सम्मिलित है जिसकी व्यवस्था और रख-रखाव राज्य के व्यय से किया जाय।

राज्य विधान मण्डल की सदस्यता के लिये अनर्हता का निवारण।

३—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोई व्यक्ति केवल इस कारण कि वह निम्नलिखित किसी पद पर अध्यासीन है उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होगा, अर्थात् :

(१) उत्तर प्रदेश सरकार के उप-मंत्री का पद, अथवा

(२) कोई ऐसा पद जो पूर्णकालिक पद न हो और जिसके लिये कोई वेतन या शुल्क न दिया जाता हो।

उत्तर प्रदेश एक्ट सं० ४, १९५२ ई० की धारा २ का संशोधन।

४—(१) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य अनर्हता निवारण अधिनियम, १९५२ ई० (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की वर्तमान धारा २ की संख्या बदल कर उसे उपधारा (१) किया जायगा,

(२) पुनर्संख्यात उपधारा (१) के वाक्यखंड (क) में—

(क) शब्द "पद" के बाद अर्द्ध विराम (कामा) लगा दिया जाय,

(ख) शब्द "जो ऐसी अवधि के लिये अध्यासित रहा हो जो ३० अप्रैल, १९५२ के बाद की न हो," निकाल दिये जायेंगे, और

(ग) उस पुनर्संख्यात उपधारा (१) के साथ प्रतिबन्धात्मक खंड (प्राविजो) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अध्यासीन व्यक्ति को उस पर लागू किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अनुसार केवल प्रतिकर भत्ता (कम्पेनसेटरी एलाउन्स) मिलता हो"

(३) मूल ऐक्ट की धारा २ की उपधारा (१) के बाद को एक नयी उपधारा (२) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा—

"(२) उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट प्रत्येक आज्ञा, जब तक कि वह कोई ऐसी आज्ञा न हो जिसके द्वारा अध्यासीन व्यक्ति को ऐसे दरों पर यात्रिक भत्ता या दैनिक भत्ता लेने की अनुमति दी गयी हो, जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की बैठकों में उपस्थित होने के लिये उसके सदस्यों के लिये नियत दरों से अधिक न हो, विधान सभा के समक्ष नियुक्ति के बाद यथासम्भव शीघ्र कम से कम तीन दिन तक रक्खी जायगी और ऐसे परिष्कार (मोडिफिकेशन) के अधीन होगी जिसे विधान सभा उस सत्र (सेशन) में करे जिसमें वह उक्त प्रकार रखी गयी हो। ऐसा परिष्कार उस दिनांक से सप्रभाव होगा जिस पर वह किया जाय।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ४, १९५२ ई० का निरसन (रिपील)।

५—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य अनर्हता-निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५२ एतद्द्वारा निरस्त होगा और निरस्त किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ से ५, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री सैयद अली ज़हीर—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक, १९५२ ई० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक, १९५२ ई०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश लगान का नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री चरण सिंह (माल मंत्री)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लगान का नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

जुलाई, सन् १९४९ में जबकि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल इस भवन में पेश किया गया था उसके साथ ही साथ एक छोटा सा विधेयक भी पेश किया गया था और बाद में वह अधिनियम बन गया था जिसका नाम टेनेण्ट्स एक्विजीशन आफ प्रिविलेजेज ऐक्ट था। उस अधिनियम में काश्तकारान को यह अधिकार दिया गया था कि अगर वह अपने लगान का १० गुना जमा कर दें तो उनको कुछ विशेष अधिकार हासिल हो जायेंगे लेकिन एक दिक्कत उसमें यह थी कि बहुत से काश्तकारान हमारे प्रदेश में ऐसे थे और अब भी हैं जो कि नकदी लगान नहीं देते थे बल्कि जिन्स में अपना लगान देते थे जिनको बटाई का काश्तकार कहा जा सकता है और ऐसे काश्तकारान को यह अधिकार था कि वे यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट के मातहत अपने हाकिम इलाका के यहां दरख्वास्त दें तो उनका जिन्सी लगान नकदी लगान में परिवर्तित किया जा सकता था। लेकिन १९५० के शुरू में गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि काश्तकारान को मजबूर करती कि वह ऐसी दरख्वास्त देते हमने अपने यहां के एस० डी० ओज० को असिस्टेंट सेटिलमेंट आफिसर्स के अख्तियारात दे दिये। तो कानून मालगुजारी की दफा ८७ के मुताबिक यह अख्तियार भी हो गया कि वह इस तरह के जिन्सी लगान को अपनी तहरीर से बिना काश्तकारान के दरख्वास्त दिये हुये ही जमीदारों को नोटिस जारी करते और जिन्सी लगान को नगदी लगान में परिवर्तित कर देते। कानून का यही मंशा था और यह हिदायत दी गयी थी। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि कुछ जिलों में इस तरह के नोटिसेज जमीदारान को जारी नहीं किये और बिना नोटिस जारी किये हुये जिन्सी लगान को नकदी लगान में परिवर्तित कर दिया और जमीदारान से लगान जमा करा लिया। इस तरह से बहुत से काश्तकारान भूमिधर बन गये।

अब जमींदारान ने इस कानून के नुक्स से फायदा उठाकर नालिशात दायर की हैं अपने जिन्सी लगान की शरह से बकिया लगान को वसूल करने के लिये और कुछ नालिशें इस तरह की शायद डिग्री भी हो गयी हैं। अकेले मेरठ जिले में जमींदारों की तरफ से ४३२ ऐसी नालिशें हुई हैं। यह विधेयक इस सदन के सामने इस आशा से प्रस्तुत किया गया है कि आफिसरान के इस तरह के अहकामात वैध, कांस्टीट्यूशनल या जायज करार दे दिये जायं। जमींदारान जब यह कानून बन जाय तो तीन महीने की उनको मियाद दी गयी है कि अगर वह ऐसा समझते हैं कि जिन्सी लगान की जो तब्दीली नगदी लगान में की गयी वह सर्किल रेट से कम की गयी है तो वह तीन महीने के अन्दर अदालत में दरख्वास्त दे सकते हैं और काश्तकारान को नोटिस दिया जायगा और अगर लगान सर्किल रेट से कम साबित हुआ तो लगान में इजाफा कर दिया जायगा और अगर कम नहीं है तो जमींदारान की दरख्वास्त खारिज कर दी जायगी। अगर लगान कम साबित होता है तो जमींदार अपना बकीया लगान काश्तकारान से वसूल कर सकता है।

---

* विधेयक २७ मई १९५२ को कार्यवाही में छपा है।

[माननीय श्री चरण सिंह]

यह जो गलती हो गई, उसको दुरुस्त करने के लिये यह बिल पेश किया गया है। इस गलती से किसी जमींदार को नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि अगर नोटिस जारी भी किया जाता तो भी सर्किल रेट से ज्यादा नहीं हो सकता था। अगर नोटिस जारी नहीं किया गया है तो भी मेरा यकीन है कि लगान सर्किल रेट से कम नहीं हुआ है। लेकिन नोटिस जारी नहीं हुआ। इसीलिये यह पेश किया गया है कि जमींदारान को नोटिस जारी नहीं हुये। यह कानूनी नुक्स रह गया था जिसकी वजह से फायदा उठाया जाता है। तो अफसरों से गलती हो गई उसको दुरुस्त करने के लिये बिल उपस्थित किया गया है। बहुत मामूली सी बात है और कंट्रोवर्शियल (विवादास्पद) मामला बिलकुल नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री बेदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल का जो नाम है उसको देखते हुये आकर्षण हुआ। मालूम हुआ कि सारे सूबे में जो जिन्सी लगान किसानों को अदा करना पड़ता था माननीय माल मंत्री अब उसको नकदी लगान में बदलने के लिये यह बिल ला रहे हैं। हमारी कठिनाई यह हो रही है कि अव्वल तो हमको इस पार्लियामेंटरी जीवन का अधिक अनुभव नहीं है, लेकिन जिन लोगों को अनुभव है, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह के कामों में लगाया है वे भी हमारी मदद करने के लिये तैयार नहीं हैं और खास तौर से सरकारी बेंचों की तरफ से। मैंने आपका ध्यान उस दिन भी दिलाया था जब कि शुगर फैक्टरीज कंट्रोल का संशोधन विधेयक आया था कि वह बिल किन कागजात को बिना पर पेश किया गया है लेकिन वह कागजात सामने नहीं रखे गये और अंधेरे में टटोलना पड़ा कि हम किस तरह से उस बिल को समझ सकें और आज उसी तरह से इस बिल के बारे में भी आपका ध्यान दिलाना पड़ रहा है।

एक कठिनाई सरकार के सामने आयी, अपनी गलतियों के कारण मुनासिब था कि जो कठिनाई हुई जैसा कि हमारे मालमंत्री जी ने अभी कहा कि ४३२ मेरठ के जमींदारों ने दावे दायर किये और उनकी बुनियाद पर उनको इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी तो इसके पहले माल मंत्री जी हमारी जानकारी में भी लाने की मेहरबानी करते और फिर हमको भी विचार करने का मौका मिलता। हमारे साथ तो जबरदस्ती हो रही है। आज क्या होता है डांट डपट बताई जाती है, कुछ धमकी दी जाती है इस बात की कि अगर जल्दी से इस बिल को पास नहीं किया गया तो सारे सूबे पर एक तूफान आ जायगा और वैसी हालत में मजबूरी होती है और दूसरी चीज यह कि हम इतनी कम तादाद में हैं कि फिर हमारी मुनासिब बात भी चल सकती है इसकी भी उम्मीद नहीं है। तो इस पौसे के ऊपर हमसे कानून पास करने को कहा जाता है जैसे कहा गया था कि तीस जून तक शुगर फैक्टरीज कंट्रोल का कानून पास नहीं कर दिया गया तो सारे सूबे पर एक मुसीबत आ जायगी। हम भी डरे और इस डर में हम काफी दबे। चीफ मिनिस्टर साहब का और उद्योग मंत्री का और हाउस के समय का ख्याल करके हमने अपने सारे अमेंडमेंट वापिस लिये और हमने यह कोशिश की कि जिस तरह से भी हो सके सूबे के ऊपर कोई मुसीबत न आने पावे। उसी तरह की मुसीबत की धमकी कुछ आज भी दिल रही है कि अगर यह रेंट कम्यूटेशन (लगान परिवर्तन) बिल पास नहीं हुआ तो मुसीबत आ जायगी और खास तौर से मेरठ के ४३२ आदमियों के ऊपर फिर तो यह बहुत बड़ी बात है। हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि इस तरह से हमको गलतफहमी में रखकर कानून पास करने को न कहा जाय।

माननीय श्री चरण सिंह—गलतफहमी जो मेरे लायक दोस्त को हुई कि कम्यूटेशन के बारे में मैंने केवल मेरठ के आंकड़े दिये, बहुत से जिलों में ऐसी गलतियां एन० डी० ओज० से हुईं और अगर मेरठ मैंने कह दिया तो चूंकि मैं मेरठ से आता हूं, इसलिये वे इस सिलसिले में चुटकी लेना चाहते हैं तो दूसरी बात है।

माननीय अध्यक्ष---वे थोड़ी सी चुटकी लेना चाहते हैं।

श्री गेंदासिंह—अगर मेरठ के साथ और जिलों का भी नाम ले लिया गया होता तो मुझे यह अवसर न मिलता। फिर और जिलों के नाम मैं जानना भी चाहूंगा। माननीय मंत्री जी को मौका भी मिलेगा और वे उन जिलों का नाम भी बतला देंगे। अगर पूरे कागजात हमारे पास आये होते तो मेरठ का नाम लेकर मैं उनकी बुटकी भी न ले सकता।

यह बिल जो आया है उसके बारे में मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि वह कितने लोगों के फायदे के लिये आया है, इस हाउस का वक्त कितने लोगों के फायदे के लिये लिया जा रहा है। ४३२ आदमी सिर्फ हैं और कुछ ज्यादा भी मालूम पड़ते हैं। हो सकता है कुछ मुजफ्फरनगर के भी हों। आज यह जानने की जरूरत है कि कितने लोगों के लिये इस बिल को लाने की जरूरत हुई है। मैंने भी माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ हजार काश्तकारों की तरफ दिलाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वे उसके लिये भी कुछ रास्ता निकालेंगे। इस बिल से क्या लाभ होगा, यह बिल क्यों आया, इसका हमें अंदाजा लगाना पड़ रहा है क्योंकि स्पष्ट बातें हमारे सामने नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अपना वह अन्दाजा हाउस के सामने रख दूं, हो सकता है बाद को मंत्री जी की सफाई से मामला साफ हो जाय। मेरा तो यह अंदाजा है, मुझे तो यह इशारा मिला कि जब जमींदारी उन्मूलन फंड की वसूली हो रही थी उस वक्त कानून का जरा कम सहारा लिया गया था। इस बिल के उद्देश्य और कारणों में यह लिखा गया है कि एस० डी० ओज० से जलती हुई। मैं यह बहुत अदब से गुजारिश करूंगा कि हमेशा छोटों पर बोझ डालना मुनासिब नहीं होता। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बोझ को उठाना चाहिए। हाउस भी जानना चाहेगा कि इस तरह के कौन से परगना हाकिम हैं जिन्होंने पुराने प्रोसीजर का ख्याल नहीं किया है और जमींदारों को इत्तिला नहीं की। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की दफा ८७ के मुताल्लिक माननीय माल मंत्री जी यह फरमा रहे हैं कि उनको अधिकार दिये गये हैं। उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि सेटिलमेंट आफीसर एक लगान मुकर्रर करने वाला हाकिम है। उसकी धारा ९० में लिखा हुआ है कि—

'The Settlement Officer may of his own motion, and shall, on the application of the landholder or of an ex-proprietary, an occupancy, or a hereditary tenant, made within a period to be prescribed by rules made under section 62, determine and fix the rent of such tenant, whether by way of abatement or enhancement, or otherwise than by commutation.

The Settlement Officer may, of his own motion, or on the application of the land-holder, or of any such tenant commute to a fixed cash rent a rent hitherto payable in kind, or based on an estimate or appraisement or the standing crop, or on rates varying with the crop sown, or partly in one of such ways and partly in another or other of such ways."

[बन्दोबस्त अधिकारी स्वयं अपने प्रस्ताव पर, तथा क्षेत्रपति, अथवा साकितुलमिल्कियत दखीलकार, या मौरूसी किसान के आवेदन पत्र पर, जो धारा ६२ के अन्तर्गत निर्मित नियमों में विहित कालावधि के भीतर दिया जाय, ऐसे किसान का लगान, नगदी में परिवर्त्तन के अतिरिक्त अन्य प्रकार से न्यूनीकरण या वृद्धि द्वारा निर्धारित और नियत कर सकेगा और करेगा।

बन्दोबस्त अधिकारी अपने प्रस्ताव पर अथवा क्षेत्रपति या ऐसे किसी काश्तकार के आवेदन-पत्र पर किसी लगान को नियत नकद लगान में परिवर्तित कर सकेगा जो अब तक जिन्स में देय था, अथवा प्राक्कलन, मूल्य निर्णय या खड़ी फसल या बोई जाने वाली फसल के

[श्री गंदा सिंह]

मूल्य में परिवर्तन या अंशतः इनमें से एक रीति और अंशतः दूसरी रीति या रीतियों पर आधारित था।]

जब इस तरह की बात कानून में थी तो जो कुछ भी फैसला सेटिलमेंट आफीसर ने किया उसको हम मानने के लिये मजबूर हैं। अगर उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया तो वे दोषी हैं। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं एक अंदाजा ही लगा रहा हूं। जो अनुभव हमारा है जमींदारी अबालीशन फंड की वसूली का और उसके सिलसिले में हुई अनियमितताओं और ज्यादतियों का, उसकी बिना पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सहारा होगा उनको कि मत ख्याल करो कानून का, मत ख्याल करो नियमों का और दस गुना रुपया जमा कराओ, और खास तौर से मेरठ का नाम लिया गया उससे मेरा एक शक और बढ़ जाता है कि आखिर लोगों को घमंड भी तो होता है। देवरिया का कोई एस० डी० ओ० इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकता कि वह ऐसी गलती करे, लेकिन मेरठ का एस० डी० ओ० ऐसी गलती करता है। मैं नहीं कहता कि देवरिया के एस० डी० ओ० ने गलती की है या नहीं। हमारे देहात में एक कहावत है और लोग कहा करते हैं कि "सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहे का" तो यही वहां पर हुआ। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मेरठ में खास तौर पर कसूर किया एस० डी० ओ० ने या सरकार ने, लेकिन दंड दिया जा रहा है काश्तकारों को। इस वक्त काश्तकार ने १० गुना लगान जमा कर दिया उसका जिन्सी लगान नगदी में बदल गया। उसके घर पर बाजे बजे होंगे। कभी कभी मंत्री जी वहां पर दौरे में जाया करते होंगे और बातचीत में उसने सोचा होगा कि ऐसा वक्त नहीं आयगा। यह अच्छा है कि यह जिन्सी लगान नकदी में बदल जाय। उसने १० गुना लगान जमा किया तो आखिर में बकौल मंत्री जी के उसे १० गुना जमा करने में अपने घर के जेवर भी बेंचने पड़े होंगे और १० गुना देने के बाद वह भूमिधरी की सनद लेकर वह घर आया। उसने समझा कि लगान कायम हो गया और हमारे बाल-बच्चों के लिये अच्छा हो गया कि इस लगान पर यह जमीन मिल गई। कुछ दिन लगान भी दिया और उसके बाद मालूम नहीं क्या क्या होगा यह तो उसने सोचा भी नहीं होगा। वह काश्तकार हो गया और मुस्तकिल लगान भी उसके ऊपर कायम हो गया। आज एक नई मुसीबत उसके ऊपर आ गई। जमींदार अगर उसके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे तो फिर मुकदमें खुलेंगे और वह सबूत-शहादत इसके ऊपर मुहैया करेगा कि लगान कम है या जायज है; बड़ी रियायत उसके साथ की गयी है। मैं मंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बिल में यह कहा कि यह मुकदमे कमिश्नर तक ही जायेंगे यानी सेटिलमेंट अफसर के फैसले के बाद वह अगर एग्री (सहमत) हुआ तो यह मुकदमे कमिश्नर तक ही जायेंगे। एक काश्तकार के पास १, २ एकड़ जमीन ही ऐसी हो सकती है।

मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मेरठ और मुजफ्फरनगर में जो जिले हमारे सूबे में आप करते (सर्वप्रथम) हैं जेड० ए० एफ० के सिलसिले में उनमें सब से ज्यादा १० गुना रुपया हरिजनों ने ही जमा किया है। उनको इस बात का डर था कि कहीं हम बेदखल न हो जाय। यह मैं अपनी जानकारी के आधार पर ही कह रहा हूं कि उनके पास दो एक एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है और इस जमीन के मुताल्लिक वह कमिश्नर तक ही मुकदमा लड़ सकेंगे। यह आप उन पर मेहरबानी कर रहे हैं कि यहीं तक रखा है, बोर्ड आफ रेवेन्यू तक नहीं रखा गया है। लेकिन कमिश्नर तक लड़ने में भी एक मुद्दत निकल जायगी और उसमें भी उनको काफी परेशानी होगी। तो इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि कसूर तो सरकार का था या हाकिम परगना का लेकिन आप काश्तकार को क्यों यह सजा दे रहे हैं अगर कानून के मुताबिक उन्होंने जमींदारों को नोटिस नहीं दिया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप आगे किस तरह से कानून बनायेंगे और किस तरह से उसको फायदा पहुंचायेंगे। अब जो कानून आप पास करने जा रहे हैं वह यह है कि अगर सरकिल रेट से कम वह लगान है तो वह सरकिल रेट के बराबर हो जायगा यह भी उसमें है कि अगर सर्किल रेट के बराबर लगान बढ़ गया और बढ़ जाने के बाद ।

लगान अदा नहीं हुआ है तो काश्तकार से तो जमींदार को यह हक होगा कि वह वसूल करे लेकिन मैं अपने माननीय माल मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उसमें इस बात की गुंजाइश क्यों नहीं की गयी है कि अगर लगान बढ़ा हुआ है सर्किल रेट से, वह मुमकिन है घट जाय, तो जमींदार से भी काश्तकार वसूल कर सकें। यह जवाब हो सकता है कि जमींदार ही मुक़दमा खोलने के लिये दरख्वास्त देगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो कुछ जमींदार समझता है वही अदालत भी समझे। मुमकिन है कि जमींदार समझता है कि उसका लगान बढ़ेगा लेकिन मुमकिन है कि उसका समझना गलत साबित हो और अदालत लगान कम कर दे, तो माननीय माल मंत्री जी को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये था कि अगर इस तरह कहीं गुंजाइश हो कि अगर काश्तकार से भी ज्यादा लगान वसूल किया गया है तो उसका भी लगान जमींदार से वापस हो।

मैं दो एक अनियमितताओं की तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जमींदारी उन्मूलन कानून का मैं खास तौर से जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस तरह के कानून जो आप बनाने जा रहे हैं अगर सब अनियमितताओं पर गौर किया जाय, तो न मालूम आपको कितने कानून बनाने पड़ेंगे। हाउस को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि अकेले देवरिया जिले में कई लाख रुपया किसानों का जमा कर लिया गया है। सन् १९४८–४९ के सीजन में गन्ने के दाम से करीब ४० लाख रुपया प्रति मन दो आने के हिसाब से काट कर डिपाजिट (जमा) कराया गया। किसानों का ४० लाख रुपया जो अमानत का जमा किया गया. . .

माननीय श्री चरण सिंह——श्रीमान्, मैं एक वैधानिक आपत्ति पेश करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि आप जमींदारी अबालीशन फंड में जो अधिक ज्यादती हो रही है उसका जिक्र कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कि यह अप्रासंगिक बात है।

माननीय अध्यक्ष——माननीय सदस्य, अपनी बहस के सिलसिले में किसी बात को साबित करने के लिए कोई प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि बार बार हर जगह का किस्सा इस भवन के सामने लाया जाय। एक-आध उसका प्रमाण दे देना काफी होगा।

श्री गेंदा सिंह——यही तो मैं एक ऐसा प्रमाण देना चाहता था जो सारे सूबे के लिये ऐसा प्रमाण हो सकता है जिस पर ज्यादा से ज्यादा सबूत मिल सकता है और हाउस का ज्यादा से ज्यादा ध्यान आकर्षित हो सकता है, क्योंकि गन्ना वाला मसला ऐसा है जिसमें कुछ करोड़ रुपया इस तरह से वसूल किया गया है और मैं खास तौर से इसी बात को आपकी निगाह में रखना चाहता हूं। फिर भी मैं दूसरा प्रमाण देने की गुस्ताखी नहीं करूंगा लेकिन इसके लिये तो मैं चाहूंगा कि मुझे इजाजत हो कि इसे सुना दूं। खास तौर से मैं माननीय माल मंत्री जी से चाहता हूं कि वे जांच भी करा लें और इस मर्तबा इतमीनान तो कर लें कि वाकई यह बात सही है या गलत। ऐसे लोगों के नाम पर पटवारियों और तहसीलदारों ने निशान अंगूठे लगवाये जिनके रुपये नहीं थे और रुपये वालों के जाने पर उनसे कह दिया कि यह रुपया तुम्हें वापस कर दिया गया है। जब मैंने ऐसे आदमियों को खोजा और ढूंढा तो मालूम हुआ कि दो ढाई वर्ष पहले जो मर चुके हैं उनके नाम पर भी निशान अंगूठे और दस्तखत लगाये गये हैं। मुझे पड़रौना तहसील के गरीब चमार के बारे में मालूम है कि वह दो ढाई वर्ष पहले मर चुका है मगर उसके नाम पर अंगूठा निशान लगा कर रुपया ले लिया गया है और दसगुना भी जमा कर दिया गया है। मैं उसका पूरा पता दे सकता हूं। यह एक केस नहीं है बल्कि ऐसे मरे हुओं के कई सौ केस हो सकते हैं। निशान अंगूठा लगाने के तो हजारों केस हो सकते हैं। इस तरह की दरख्वास्तें वहां के हाकिमों के सामने बहुत बड़ी तादाद में दी गयीं कि हमने कभी नहीं रुपया लिया और न यही कहा कि हमारा रुपया दस गुना जमा किया जाय। यह भी नहीं कि उसके खाते में रुपया जमा किया गया हो बल्कि किसी दूसरे के खाते में रुपया जमा कर दिया गया है।

[श्री गेंदा सिंह]

मैं सरकार का खास तौर से माननीय माल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस मामले की जांच करायें। मैं इसे भी इस तरह का मामला समझता हूं कि जैसे प्राज रेंट कम्यूटेशन [लगान परिवर्तन] के नाम पर हमसे कहा जा रहा है कि इस कानून को पास कर दो। जैसा मैंने पहले कहा, यह रेंट कम्यूटेशन का मामला सीधा नहीं है। बहुत थोड़े में मैं कहता हूं कि १९५० का नाम ही क्यों लिया जाय? अप्रैल, १९५० से इधर जो मुकद्दमे हुये उन्हीं को क्यों सुधारा जाय? माल मंत्री जी ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि सभी केसेज में जमींदार को सुनने का मौका दिया जाय। मैं इस पर सफाई चाहूंगा। अप्रैल, १९५० ही के बाद के मामले सामने लाने की क्या बात है। मैं कहना चाहता हूं कि यह रेंट कम्यूटेशन का मामला नहीं है। १० गुने वसूली में जो ज्यादतियां की गई हैं, हाकिमों ने ज्यादतियां की हैं तो अब इन हाकिमों की ज्यादतियों का नहीं बल्कि अपनी ज्यादती का रास्ता निकाला जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य बार बार उसी को दोहरा रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह—बहुत अच्छा, तो मुझे यह शिकायत है और मैं चाहूंगा कि माननीय माल मंत्री जी जरा इन सब मामलों को साफ करें।

मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि जब कोई इस तरह का बिल आवे तो इन बिलों के संबंध में जो जरूरी कागजात हों उनको जरूर रखा जाय। मालूम नहीं किस मुकद्दमे में फैसला हुआ। वह भी हमारे सामने नहीं कि उसे हम देख सकें कि वाक़ई रेंट कम्यूटेशन का कोई अधिकार है या नहीं। यदि इन सब चीजों को हम लोगों को बताने की कोशिश की जाय तो उससे शायद कानून में भी सहूलियत होगी और आगे भी लूपहोल्स (त्रुटियां) रहने की गुंजाइश नहीं रहेगी। रोज कानून बनाये जावें और हाई कोर्ट में जाकर या मैजिस्ट्रेट के यहां जा कर वह रद्द हो जायं, इससे हमारी बदनामी होती है। इस हाउस में हमारे देश के कुछ थोड़े चुने व्यक्ति मौजूद हैं और उनके होते हुये ऐसी गलती होना उचित नहीं है। इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह इन सब चीजों को स्पष्ट करें। हम जरूर चाहेंगे कि यह कानून जल्द से जल्द पास हो। जिन किसानों ने १० गुना, जमा किया है, चाहे उन्हें धोखा ही दिया गया हो, यदि उनके लिये कोई कानून पास करना चाहते हैं तो उसमें हमारा हार्दिक समर्थन है। लेकिन बातें जरा साफ होनी चाहिएं।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अब ऐसे कानून के बनाने की जरूरत नहीं है। पहली जुलाई से जमींदारी अबालीशन ऐक्ट लागू हो जायगा। जहां तक पिछले लगान की वसूली का ताल्लुक है उसके लिये दफा ७ जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में यह सेविंग [बचत] दी गई है कि जमींदार अपना लगान वसूल कर सकते हैं। अगर किसी का लगान रह गया है, तो उसको यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की धारा १४४ की रुह से दावा करना पड़ेगा और नगद लगान का दावा होगा धारा १५१ यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की रुह से। जहां तक उसके लगान की वसूली का ताल्लुक है, इसी के हिसाब से उसको दावा दायर करना पड़ता है। लेकिन पहली जुलाई से जब जमींदारी एबालीशन ऐक्ट लागू हो जायगा, यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट का खात्मा हो जायगा। जो पिछला लगान है तब ५९ फसली तक का, वह जमींदार को वसूल करने का अधिकार दिया गया है और वह दावा दायर करेगा टेनेंसी ऐक्ट की धारा १४४ की रुह से। धारा ११३ यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की रुह से अगर जमींदार से काश्तकार ने अपना लगान कम्यूट (नकदी में परिवर्तित) नहीं कराया है और अगर दावा करने की नौबत आती है तो धारा १४४ में यह लिखा है कि वह फैसला नक़दी लगान का होगा। इस तरह धारा ११३ के मुताबिक़ लगान कम्यूट करके फैसला होगा और तमाम मुकद्दमे इस तरह के फैसले हो चुके हैं। इस बात को सोचते हुये कि पहली जुलाई से यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट नहीं रहेगा, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की जो

दफा ८७ है उसमें जहां ३० साल या ४० साल के बाद सेटिमेंटल होता है वहां सेटिलमेंट आफिसर को महज लगान कम्यूट करने का अख्तियार होता है, मगर यह कि हर सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट को यह अख्तियार दे दिया जाय या न दिया जाय, इस पर इस वक्त बहस नहीं हो सकती है। इस बिल के जो ऐम्स एडआब्जेक्ट्स [उद्देश्य] हैं उसमें यह लिखा है कि टेनेंट्स की बहबूदी के लिये यह कानून बनाया जाता है। मगर जैसा मैंने अर्ज किया कि इसमें न टेनेंट्स की बहबूदी है और न जमींदारों की बहबूदी है। पूर्व वक्ताओं की तरह से मैं बहस मुबाहिसा में जनरल बहस नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं हमेशा यह कोशिश करता हूं कि यदि किसी विषय पर वादविवाद होता हो तो मैं हाउस के सामने एक नयी बात थोड़े से समय में रखूं। मैं इस बात पर माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन वजूहात से कोई जरूरत इस कानून के बनाने की नहीं है।

माननीय श्री चरण सिंह—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझको यह मुगालता था कि मैं ने जब प्रस्ताव पेश किया था उस समय इस छोटे से विधेयक की इतनी वजाहत कर दी थी कि मैं समझता था कि शायद विरोधी पक्ष की ओर से कोई तकरीर नहीं होगी और सदन का समय नष्ट नहीं किया जायगा। लेकिन यह मुग़ालता मुग़ालता ही रहा क्योंकि जहां पर कोई आपत्ति उठाने की कोई जरूरत नहीं थी वहां पर आपत्ति उठाने की कोशिश की गयी। सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य जो कि देवरिया से तशरीफ लाये हैं उन्होंने पांच सात बातों का जिक्र किया है। मैं क्रमशः उनका जवाब दूंगा।

पहली बात उन्होंने यह कही कि हमारे सामने इस गवर्नमेंट का इन थोड़े से दिनों में रवैया यह रहा है कि विधेयक पेश किये जाते हैं और जब हम उनकी बाबत कुछ मालूमात करना चाहते हैं तो यह धमकी दी जाती है कि अगर ३० जून से पहले आप ने विधेयक पास नहीं किया तो लाखों किसानों और करोड़ों जनता का नुकसान हो जायगा, यह बेबसी है, इसलिये इस डर की वजह से हम चुप हो जाते हैं और कानूनों को पास कर देते हैं। इसका यही नतीजा निकलता है कि गवर्नमेंट या तो अपनी बातें छिपाना चाहती है या विरोधी पक्ष को अपनी पूरी बात कहने का मौका नहीं देना चाहती है। केवल दो बिल यहां ऐसे पेश किये गये हैं जिन में ३० जून का हवाला था। पहला माननीय उद्योग मंत्री ने शुगर फैक्ट्रीज नियंत्रण (संशोधन) बिल पेश किया। तो उसमें जो कानून पहले से बना हुआ था उसमें जिक्र था कि ३० जून, सन् १९५२ को वह खत्म हो जायगा। इसलिये ३० जून से पहले यहां संशोधन लाना आवश्यक था। अब आप यह कह सकते हैं कि जनवरी में क्यों नहीं लाये। तो जनवरी में इसलिये नहीं लाये कि एक कानून सितम्बर, सन् १९५१ में केन्द्रीय गवर्नमेंट ने पास किया। अगर वह कानून नाफ़िज नहीं होता तो सन् १९५२ की जगह केवल १९५४ रख दिया जाय, इस तरह का संशोधन आता। उसमें न कोई उसूल की बहस होती और न हाउस का समय नष्ट करने का सवाल होता। अब जो लम्बा चौड़ा संशोधन विधेयक के रूप में आया उसका कारण यह है कि वह कानून जो सितम्बर, सन् १९५१ में केन्द्रीय पार्लियामेंट से पास हो गया वह ८ मई, सन् १९५२ को लागू किया गया। तो इसमें हमारे पास कोई समय नहीं था सिवाय इस सेशन में कि इतने बड़े संशोधन का विधेयक लाते। तो इसलिये इसमें गवर्नमेंट की नीति पर हमला करना मेरी समझ में कुछ आता नहीं।

दूसरा क़ानून वह था जो परसों इस सदन ने पास किया, अर्थात् जमींदारान को उसके जरिये रोका गया है कि वे १९ मई से ३० जून तक न कोई पट्टा दें और न कोई रजिस्ट्री करें। इस पर हम कैसे कोई विधेयक ला सकते हैं। ५ मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और १९ मई को सदन का यह अधिवेशन बैठा और हम बिल को ले आये। तो गवर्नमेंट को कोई मौका नहीं था कि हम उस बिल को ले आते। तो यह कहना कि गवर्नमेंट मौका नहीं देती है और ३० जून की धमकी देकर क़ानून पास करा लेती है, मैं समझता हूं कि आपका यह इलजाम गलत है। फिर आपने कहा कि सिर्फ ४३२ आदमियों का मामला है। मैंने तो केवल उदाहरणार्थ मेरठ के ४३२ आदमियों का जिक्र किया। एक बार नहीं बल्कि कई बार और जब वैधानिक आपत्ति उठायी गयी उस वक्त भी मैंने कहा था कि एक ही जिले के नहीं बल्कि बहुत से आदमियों

[माननीय श्री चरण सिंह]

का ऐसा हुआ। केवल ४३२ आदमियों की तफसील मेरठ जिले के कलेक्टर ने भेज दी और जिलों की तफ़सील नहीं आयी। तो यह बात कह कर मैं समझता हूं माननीय सदस्य ने कुछ ठीक बात नहीं कही। इस सिलसिले में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर एक भी आदमी के साथ ज्यादती होती हो तो भी कानून लाया जा सकता है। अगर हाउस आफ़ कामन्स की प्रोसीडिंग्स को उठा कर आप देखेंगे तो अभी तीन, चार ही साल की बात है कि लेडी माउन्टबैटन प्राप्रटी बिल वहां लाया गया था। तो एक आदमी के स्वार्थ के लिये क़ानून लाया जाता है यह तो ४३२ आदमियों की बात है और वह ४३२ आदमी कैसे, जो बहुत गरीब हैं और जिनकी बाबत कहा यह जाता है कि आपकी ठेकेदारी ज्यादा है बनिस्बत हमारे।

तीसरी बात यह कही गयी कि साहब, मेरठ की बात क्या, वहां तो मंत्री साहब भी दौरे में गये होंगे और इशारे किये होंगे। इसके जवाब में मैं सिर्फ यह बात कह सकता हूं कि जहां तक मेरा अपना संबंध है और जहां तक इस मंत्रिमंडल के हर सदस्य का संबंध है और केवल मंत्रिमंडल के सदस्यों का ही नहीं बल्कि कांग्रेस बेंचेज के हर सदस्य का ताल्लुक़ है देहरादून से लेकर बलिया तक के सारे किसानों को वह अपना ही आदमी समझता है और उतनी ही हमदर्दी और मोहब्बत उनके साथ रखता है जितनी कि अपने जिले के किसानों के साथ रखता है। तो इस तरह का इशारा करके मैं समझता हूं कि आप मेरे साथ ज्यादती करते हैं। मैं केवल यही जवाब दे सकता हूं कि हर आदमी दूसरे को अपने पैमाने से मापता है। मेरे लायक़ दोस्त का यह पैमाना हो सकता है।

चौथी बात यह कही गयी कि गरीब किसान हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है कि अगर वे असन्तुष्ट हों एस० डी० ओ० या कलेक्टर के फैसले से तो कमिश्नर के यहां अपील करने जायं। तो क्या मैं यह समझूं कि जो विरोधी समुदाय मेरे सामने बैठा है वह इस सिद्धांत को मानता है कि अगर अदालत से फैसला हो जाय तो उसकी अपील न की जाय? अगर यह मानता है तो इसका साफ ऐलान कर देना चाहिये। लेकिन किसी भी डिमाक्रेसी में ऐसा कायदा नहीं है। दुनिया भर की डेमाक्रैसी में दो दो अपीलें होती हैं। हम तो एक ही अपील कर रहे हैं। जब प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट पर पार्लियामेंट में बहस होती है तो कहा जाता है कि अपील और दर अपील का मौका क्यों नहीं देते। यहां आप कहते हैं कि एक अपील का मौका क्यों दिया? क्यों नहीं एस० डी० ओ० के फैसले को नातिक़ और अंतिम फैसला माना गया? मैं समझता हूं कि यह जुरिस्प्रूडेंस (विधान-शास्त्र) के सब सिद्धांतों के विरुद्ध है। कोई आदमी हो, जमींदार हो, किसान हो, हर एक को एक अपील का अधिकार होना ही चाहिये।

एक बात यह कही गयी कि मुझको मालूम है कि मेरठ की तरफ ज्यादातर गरीब आदमियों ने ही रुपया दिया है और जो बेचारे गरीब भाई हैं, हरिजन हैं जिनके पास एक एक एकड़ जमीन है वे तो बिलकुल नष्ट हो जायेंगे। अभी मैंने तीन चार दिन हुये कुछ आंकड़े पढ़कर सुनाने की कोशिश की थी, जबकि समय की कमी के कारण उनको नहीं सुना सका। लेकिन इतनी बात मैंने साफ कर दी थी कि उन १५ जिलों में से, जोकि जैफ़ ड्राइव में अव्वल रहे हैं, केवल दो जिले ऐसे हैं, मेरठ और मुज़फ्फ़रनगर, जहां के औसत लगान से ज्यादा लगान वालों ने भूमिधरी की सनद हासिल की है। बाकी १३ जिले ऐसे हैं जहां का औसत लगान से कम लगान वालों ने रुपया दाखिल किया है। मैंने ये आंकड़े अपने इस पक्ष के समर्थन में दिये थे कि गरीब आदमी ने ज्यादा रुपया इकट्ठा किया है। लेकिन मेरठ मुजफ्फ़रनगर एक्सेप्शंस (अपवाद) हैं। तो गरीब आदमियों ने सभी जगह दाखिल किया है, लेकिन निस्बतन औसत किसान से बेहतर हालत जिनकी थी उन्होंने वहां दाखिल किया है।

इसके बाद मेरे मित्र ने फरमाया कि अगर सर्किल रेट से ज्यादा दाखिल हो गया हो तो उसमें क्यों नहीं गुंजाइश रखी गयी है कि वह घटाया जाय? तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि इस विधेयक का जो बुनियादी सिद्धांत है

वह यह है कि जिस फरीक को नोटिस जारी नहीं किया गया उसको दरख्वास्त देने का मौका दिया गया है। किसान तो रुपया दाखिल करने आया था। वह फरीक था उस कार्यवाही में। तो उसके रहते हुये सर्किल रेट से ज्यादा लगान मुकर्रर हो नहीं सकता और यह वाक़या भी है कि कहीं सर्किल रेट से ज्यादा मुकर्रर नहीं हुआ। वह तो जमींदार फरीक नहीं था, इसलिये उसको मौका दिया गया। अगर वह समझता है कि ज्यादा मुकर्रर किया गया तो वह दरख्वास्त दे और वह कार्यवाही हो जाती है।

फिर वही पुरानी कहानी दुहराई गयी कि भूमिधरी फंड इकट्ठा करने में बड़े अत्याचार हुए हैं। मुर्गा बनाया गया, दूसरे का लगान किसी और ने दाखिल कर दिया और जबरदस्ती रुपया वसूल कर लिया। जहां तक किसी शख्स ने जो कि कानूनन काश्तकार किसी जमीन का नहीं था बल्कि उस पर काबिज था और उसने रुपया दाखिल कर दिया तो दफा १२ जो टेनेंट्स इकविजीशन आफ प्रिविलेजेज ऐक्ट की है उसके मुताबिक ऐसी सनद अगर किसी ने हासिल कर ली है तो जो जायज हकदार उस खाते का होगा वह उसको कैंसिल [निरसन] करा सकता है। कवल रुपया दाखिल करने से किसी आदमी को किसी जमीन पर हक हासिल नहीं हो सकता। उसी को हक हासिल होगा जो कि जायज तौर पर काश्तकार है, काश्तकार दर्ज है। वह अदालत में दावा दायर करके अपना हक हासिल करवा सकता है। महज रुपया दाखिल करन स किसी को हक नहीं पहुंचता।

जहां तक यह कि जुल्म कराये गये और मुर्गा बनाकर रुपया दाखिल कराया गया तो इसकी मुझे शिकायत इसलिय नहीं है कि वह आखिर और क्या कहते? कुछ तो कहते। तो यही कहानी है जो सूबे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कही गयी। लेकिन जब चुनाव हुये तो उन्होंने साबित कर दिया कि कितने अत्याचार किसानों पर हुये। अगर अत्याचार किये गये होते तो ९५ फीसदी किसान कांग्रेस को वोट न करते। मैं मानता हूं कि कहीं पर अफ़सरों से ग़लती हुई भी हो और वह ओवर जैलस (अत्यधिक उत्साही) हो गये हों। लेकिन उन की ऐसी ग़लती के लिये हमें बहुत अफ़सोस है और दुःख है। जहां हमको मालूम हुआ कि किसी सौ में से एक अफसर ने कहीं कुछ ज्यादती की और ओवर जैलसनेस से काम लिया तो हमने उसको तम्बीह की है और कार्यवाही उस अफसर के खिलाफ की है और उनकी उस ग़लती के लिये हमें बहुत अफसोस है।

कहा गया है कि अप्रैल सन् ५० से पहले की कार्यवाही क्यों नहीं खोली जाती है। अप्रैल सन् ५० से पहले का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने अपनी इब्तदाई तक़रीर ही में अर्ज किया था कि फरवरी सन् ५० में जो टेनेन्ट्स एक्वीजिशन आफ प्रविलेजेज ऐक्ट का संशोधन हुआ था और वह जो अधिनियम बना था उसमें यह अख्तियार दिया गया था और लैंड रिफार्म्स कमिश्नर के यहां से जो हिदायत गई वह १ अप्रैल से हुई। अगर हुई है तो वह १ अप्रैल से बाद में ही हुई, उससे पहले का तो सवाल ही नहीं है।

यह भी कहा गया कि यह जो क़ानून लाया गया है वह अफसरों की ग़लती ठीक करने के लिये नहीं, बल्कि गवर्नमेंट अपने पापों को छिपाने के लिये उसे ला रही है। मैं कहूंगा कि हमारे जो अफसरान हैं या जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसमें स अगर कोई ग़लती करता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, वह जिम्मेदारी इस मंत्रिमंडल की है, इस गवर्नमेंट की है और उस जिम्मेदारी से हम बचना नहीं चाहते। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें छिपाने का क्या सवाल है। यह कहना कि बिना सोचे समझे कानून लाये जात हैं और यह कि जमींदारी विनाश कानून जो बना है उसके भी संशोधन का क़ानून लाया जायगा, इसका जवाब यही है कि मनुष्य कोई भी पूर्ण मनुष्य नहीं है और हर एक से गलती हो सकती है और मनुष्य गलती का पुतला है, चाहे वह एक मनुष्य हो या मनुष्यों का समुदाय हो और इसको साबित करने के लिये

[माननीय श्री चरण सिंह]

में विरोधी दल के सदस्यों को अभी परसों की एक बात बतलाना चाहता हूं कि जो उन्हीं की तरफ से कही गई थी और कहा गया था कि ८ अगस्त सन् ४६ के बाद के जितने पट्टे हैं वह सब नाजायज कर दिये जायं। उसके बाद ही संशोधन गिर जाने के बाद एक दूसरा संशोधन उनकी तरफ से किया गया था कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन के पट्टे मन्सूख किये जायं और नीचे के न किये जायं। जब विरोधी दल के सदस्यों को ग़लती बतलाई गई तब उन्होंने अपनी ग़लती को मान कर उस संशोधन को वापिस लिया। तो यह बात नहीं है कि ग़लती हमारी तरफ से ही हो सकती है, ग़लती आपकी तरफ से भी हुई और हो सकती है। हमारी या आपकी ग़लती की बात नहीं है, ग़लतियां तो सब से होती हैं और आगे भी होंगी।

जहां तक जमींदारी खत्म करने का कानून का सम्बन्ध है मैं उसके बारे में कई बार कह चुका हूं और फिर दोहराऊंगा कि इतना बड़ा कानून दुनिया के विधान मंडलों में कहीं भी पास नहीं हुआ है और इससे पहले इस तरह का कोई माडल (आदर्श) हमारे सामने नहीं है। आम तौर से यह होता है कि कानून दूसरे सूबों से या देशों से ले लिये जाते हैं और उनकी दो चार दफा घटा दी जाती हैं या बढ़ा दी जाती हैं और थोड़ा बहुत संशोधन कर के अपने मतलब को पूरा करने के लिये कुछ दफा बदल दी जाती हैं, लेकिन ढांचा और सांचा वही रहता है, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे पिछले मंत्रिमंडल ने जो इतना बड़ा जमींदारी का कानून बनाया उसके पास कोई इस तरह का ढांचा या सांचा इस कानून का नहीं था और यह इस किस्म की एक कतई नई चीज थी और अगर उसमें कोई ग़लती रह गई है तो उसके लिये कोई शर्म हमको नहीं है। हमें मालूम है कि उसमें ग़लतियां रह गई हैं और शायद जुलाई के अधिवेशन में एक छोटा संशोधन बिल उस पर आवे। इसलिये ग़लती हो जाना हर जगह और हर एक से मुमकिन है, बाकी सवाल सारा नीयत का है। यह बातें तो माननीय गेंदा सिंह जी की तरफ से कही गईं।

एक बात और, केवल एक ही बात वह कहा करते हैं। माननीय श्री ज्वाला प्रसाद जी ने कहा जब जमींदारी एबालीशन ऐक्ट बन जायगा तो दफा १४४ के मातहत सर्किल रेट के हिसाब से ही लगान की नालिश जमींदार कर सकेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि जो लगान वाजिब हो चुका पहली अप्रैल, सन् ५० से ३० जून, सन् ५२ तक उसका क्या होगा। बकिया लगान की नालिश वह कैसे करेगा। एक एकड़ जमीन का लगान ६ रुपये है और बटाई लगान ७५ रुपया बैठता है। एक एकड़ में १० मन अनाज होता है।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—मुझे माननीय माल मंत्री की सेवा में यह बात कहनी है कि मैंने इसी के बारे में कहा है कि १ जुलाई, सन् ५२ के बाद कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता और न धारा १४४ यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की कहीं लगान वसूली के लिये लागू होगी। यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की दफा १४४ तो इसी लगान के बारे में लागू होगी जो पहली अप्रैल, सन् ५० और ३० जून, सन् ५२ तक बाकी रह गया है। जमींदार नालिश करेगा तो उसकी नालिश होगी इसी दफा १४४ के मातहत।

माननीय अध्यक्ष—दोहराइये नहीं। आपकी बात समझ में आ गई।

माननीय श्री चरण सिंह—सारा सवाल यह है कि यदि यह कानून न पास किया जाय तो जितने भी कम्यूटेशन (नक़दी में परिवर्त्तन) के आदेश जेड० ए० एफ० में बिला जमींदार को नोटिस दिये हो गये हैं वह ग़लत समझे जायंगे और जमींदारों को अपनी बटाई का जिन्सी लगान बराबर काश्तकारान से पाने का हक रहेगा।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि १ एकड़ में औसतन ९ या १० मन पैदावार होती है और १० मन गल्ले के दाम १५० रुपये से कम नहीं हैं इस तरह से बटाई का लगान ७५ रुपया हुआ। एक एकड़ का सर्किल रेट दर्ज होता है ६ रुपया और उस हिसाब से जिस हिसाब से कि जमींदार काश्तकारों से लगान ले रहे थे १२ गुना ज्यादा लगान पाने के मुस्तहक हो जायंगे अगर इस तरह का कानून पास नहीं किया गया। यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में यह है कि जिस वक्त कम्युटेशन हो रहा है सर्किल रेट का तो उससे अगली जुलाई जब आयेगी उस वक्त से कम्युटेशन माना जायगा, यानी पहली जुलाई, सन् ४९ से सन् ५२ तक बकिया ढाई साल का लगान सर्किल रेट से वसूल कर लिया जायगा इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ज्यादा वसूल कर लिया जायगा अगर यह विधेयक पास नहीं किया गया। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि वह मेरे इस प्रस्ताव को मंजूर करें।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लगान का नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना, खंड १-१२ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश लगान का नक़दी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक, १९५२ ई०

लगान के नक़दी में परिवर्तन करने से सम्बन्धित कुछ व्यवहारों के नियमन का विधेयक

यह आवश्यक है कि लगान के नक़दी में परिवर्तन करने के लिए कुछ व्यवहारों का नियमन किया जाय—

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है,

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा परिवर्तन

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश लगान का नक़दी में (व्यवहारों का नियमन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा।

प्रारम्भ

(२) इसका प्रसार अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़ कर, समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर शब्द और पद "कमिश्नर", "क्षेत्रपति", "लगान", "बन्दोबस्त अधिकारी" और "काश्तकार" का वही अर्थ होगा जो यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में क्रम से "Commissioner", "Land Holder", "Rent", "Settlement-Officer", और "tenant", का है।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१ की धारा ८७ के अधीन नक़दी लगान में परिवर्तन करने का वैध होना।

३—धारा ४ के उपबन्धों को बाधित न करते हुए,

(क) जिन्सी लगान को, या

(ख) खड़ी फ़सल के अनुमान या कूत (एस्टीमेट आर अप्रेजमेंट) पर आधारित लगान को, या

(ग) बोई हुई फ़सल के अनुसार घटने बढ़ने वाले लगान को अथवा अंशतः उक्त प्रकारों में से किसी एक पर और अंशतः किसी दूसरे पर निर्भर लगान को निश्चित नक़दी लगान में परिवर्तन करने के लिये १ अप्रैल, १९५० के बाद निवेशित किसी व्यवहार (प्रोसीडिंग) में, यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ८७ की उपधारा (२) और (३) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अभिप्रेत उपयोग में किसी बन्दोबस्त अधिकारी (सेटिलमेंट आफ़िसर) द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व दी गई कोई आज्ञा केवल इस कारण अवैध न होगी कि उक्त आज्ञा देने के पूर्व क्षेत्रपति (लैण्ड होल्डर) को उपस्थित होने तथा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१।

आज्ञा का पुनर्विलोकन (रिव्यू)।

४—यदि उक्त प्रकार की कोई आज्ञा दी गई हो और वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व अन्तिम हो गयी हो, तो क्षेत्रपति, यदि उसका यह दावा हो कि उक्त प्रकार निश्चित किया गया नक़दी लगान उस धनराशि से कम है जो प्रचलित मंडल के दरों (सर्किल रेट्स) के अनुसार देय होती, तो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ से ९० दिन के भीतर सम्बद्ध बन्दोबस्त अधिकारी (सेटिलमेंट आफ़िसर) को उक्त आज्ञा के पुनर्विलोकन (रिव्यू) के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

प्रार्थना-पत्र के साथ आज्ञा की प्रतिलिपि का होना।

५—धारा ४ के अधीन पुनर्विलोकन के प्रार्थना-पत्र के साथ उस आज्ञा की प्रति दी जायगी जिसका पुनर्विलोकन अभीष्ट हो और इसके साथ-साथ प्रचलित मंडल की दरों (सर्किल रेट्स) का तथा क्षेत्रपति द्वारा अभियाचित (क्लेम्ड) नक़दी लगान का ब्योरा भी दिया होगा।

काश्तकार को जारी की जाने वाली सूचना (नोटिस)।

६—यदि प्रार्थना-पत्र उपयुक्त आकार में दिया गया हो, और धारा ४ के अधीन उसके लिए दी हुई अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो तो बन्दोबस्त अधिकारी उसको रजिस्टर में दर्ज करेगा और काश्तकार के नाम सूचना (नोटिस) जारी करने की आज्ञा देगा।

प्रार्थना-पत्र का निस्तारण।

७—यदि काश्तकार उपस्थित हो और उसकी सुनवाई के बाद बन्दोबस्त अधिकारी (सेटिलमेंट आफ़िसर) को ऐसा प्रतीत हो कि निश्चित किया हुआ नक़दी लगान :

(१) उस धनराशि से कम नहीं है जो मंडल की दरों (सर्किल रेट्स) के अनुसार गणना करके निकाली गयी है, तो वह प्रार्थना-पत्र को ख़ारिज कर देगा,

(२) उपर्युक्त धनराशि से कम है तो वह आज्ञा का पुनर्विलोकन (रिव्यू) करेगा और उन सिद्धान्तों के अनुसार जो यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ८७ के अधीन व्यवहारों में लागू होते हैं, निश्चित नक़दी लगान को घटा या बढ़ा देगा।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१।

निश्चित नकदी लगान का वैध होना।

८—किसी विधि (ला) में किसी बात के होते हुए भी धारा ३ में अभिदिष्ट आज्ञा के द्वारा निश्चित किया गया नक़दी लगान या यदि उक्त प्रकार निश्चित किया हुआ नकदी लगान धारा ७ के उपबन्धों के अनुसार बढ़ा दिया गया हो तो बढ़ाया हुआ लगान, सब प्रयोजनों और सब अवसरों के लिए, खाते का नक़दी लगान समझा जायगा।

९—धारा ७ के अधीन नक़दी लगान को घटाने या बढ़ाने वाली आज्ञा उस दिनांक से सप्रभाव होगी जिस पर पुनर्विलोकित की जाने वाली आज्ञा दी गयी हो। लगानकी प्रारंभिक आज्ञा के दिनांक से आज्ञा का सप्रभाव होना।

१०—यदि बन्दोबस्त अधिकारी (सेटिलमेंट आफ़िसर) ने निश्चित नक़दी लगान को घटाया या बढ़ाया हो तो क्षेत्रपति, किसी विधि, आज्ञा या डिक्री में विपरीत बात के रहते हुए भी, इस बात का अधिकारी होगा कि इस प्रकार बढ़ाया हुआ निश्चित लगान या उसका कोई ऐसा भाग जो वसूल न हुआ हो काश्तकार से वसूल कर सके। लगान में अन्तर की काश्तकारों से वसूली।

११—कोई व्यक्ति जो धारा ७ के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा से क्षुब्ध (ऐग्रीव्ड) हो, उक्त आज्ञा से ६० दिन के भीतर कमिश्नर के सामने अपील कर सकता है और अपील में दी गयी कमिश्नर की आज्ञा अन्तिम और निश्चायक होगी। अपील।

१२—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। नियम।

(२) उक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी —

(क) इस अधिनियम के अधीन अपील, प्रार्थना-पत्र तथा अन्य व्यवहारों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, और

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपील और प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में देय शुल्क।

अनुसूची

[देखिए धारा (१)]

क्षेत्र जिन पर यह अधिनियम लागू न होगा—

(१) यूनाइटेड प्राविंसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र।

(२) बनारस ज़िले का कसवार राजा परगना।

(३) कोई क्षेत्र, जो ३० नवम्बर, १९४९ ई० को निम्नलिखित के अन्तर्गत रहा हो :

(१) बनारस स्टेट (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९, में दी हुई परिभाषा के अनुसार बनारस स्टेट।

(२) रामपुर स्टेट (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार रामपुर स्टेट।

(३) टेहरी-गढ़वाल (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ में दी हुई परिभाषा के अनुसार टेहरी-गढ़वाल स्टेट।

(४) देहरादून ज़िले का जौंसार-बावर परगना और मिर्ज़ापुर ज़िले के कैमूर श्रेणी के दक्षिण के क्षेत्र।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ से लेकर १२ तक, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लगान का नक्शों में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक, १९५२ ई० पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लगान का नक्शों में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक, १९५२ ई०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त (अन्न मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, यह भवन विचार करे।

इस विधेयक के ऊपर अधिक प्रकाश डालने की मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधेयक के साथ जो आबजेक्ट्स और रीजन्स दिये हैं उनमें खुलासा कर दिया गया है कि यह बिल भवन में किन कारणों से प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय सदस्यों को यह भलीभांति मालूम है कि पिछले वर्ष हमने 'होम्योपैथिक मेडिसिन विधेयक' पास किया था और वह इस प्रदेश का अधिनियम बन गया है। परन्तु जब यह विधेयक प्रेसीडेंट महोदय की स्वीकृति के लिये भेजा गया तो प्रेसिडेण्ट महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही यह सुझाव भी दिया कि इस अधिनियम के परिशिष्ट के धारा तीन में जहां उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक एसोसियेशन का जिक्र है वहां पर इसके बजाय शब्द "बोर्ड" रखा जाय और इसका कारण यह है कि प्रेसीडेण्ट महोदय यह चाहते हैं कि बजाय एक एसोसियेशन के जो इस प्रदेश में बहुत दिनों से कार्य कर रहा है, एक बोर्ड उन डाक्टरों को सार्टीफिकेट दे जो इस प्रदेश में पांच साल से अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस प्रदेश की सरकार ने वह सुझाव माना है और मुझे विश्वास है कि इस भवन के सदस्यगण भी इस चीज को मंजूर करेंगे। इन्हीं कारणों से यह विधेयक इस भवन में विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है। मुझे आशा है कि भवन के सदस्यगण अपनी स्वीकृति इस विधेयक के प्रति प्रदान करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में कुछ पूछने से पहले मैं इस सदन की तरफ से गोरखपुर के स्वर्गीय डाक्टर श्री विश्वनाथ मुकर्जी को बधाई देना चाहता हूं जो इस सदन के सदस्य थे और सन् १९३८ में उन्होंने पहली बार गैर-सरकारी हैसियत से इस सदन में यह विधेयक उपस्थित किया था। यह विधेयक पहली बार सन् १९३८ ई० में आया। इसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्री को इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद १९४६-४७ में इसके लिये दूसरा प्रयत्न किया गया। इसके फलस्वरूप सन् १९५१ ई० में जैसा कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा यह उत्तर प्रदेश का अधिनियम बना। एक साल हुआ और यह अभी तक लागू नहीं हो सका। इसी बीच दो एसोसियेशनों के बीच झगड़ा हुआ और रजिस्ट्री के अस्तित्व रात यू० पी० होम्योपैथिक एसोसियेशन को दिये गये थे उसके सम्बन्ध में आल-इंडिया होम्योपैथिक इंस्टीटयूट की तरफ से कुछ आपत्ति हुई। उसी की वजह से यह

*यह विधेयक विधान सभा की २९ मई, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

बिल उपस्थित किया गया है ।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी जमाने में होम्योपैथी की उपेक्षा की गई थी उस समय इस देश में अंग्रेज शासन करते थे। उनका मंशा यह था कि जितना धन हो वह इस देश से लेकर अपने देश का खजाना भरें और उन्होंने इसीलिए आयुर्वेदिक प्रणाली को दबाया और हमारे देश में एलोपैथिक प्रणाली को बढ़ाया और जितनी भी दवायें आती थीं वह विदेशों से आती थीं, अमेरिका से, इंगलैण्ड से और जर्मनी से आती थीं । उनका खास मक़सद हिन्दुस्तान की बेहबूदी नहीं था बल्कि यह था कि हमारे धन का शोषण किया जाय और वह विदेशों में भेजा जाय। सन् १९३८ से प्रयत्न करने के बाद भी हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि लगभग १३ साल हो गये जब से यह सदन और हमारी कांग्रेस मिनिस्ट्री प्रयत्न कर रही है तब भी किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंची और आज तक भी कोई ठोस कदम इस सम्बन्ध में नहीं उठाया गया सिवाय इसके कि एक साल पहले एक अधिनियम इस सदन में बनाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश बहुत ग़रीब है और हमारे देश के लिये एलोपैथिक प्रणाली ही उपयुक्त नहीं है । हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है और हमारे प्रदेश की जनसंख्या बहुत है लेकिन हमारी कांग्रेस मिनिस्ट्री के सतत प्रयत्न के बावजूद जिले में एक औषधालय या दो चार छोटी-मोटी डिस्पेंसरीज हैं। बहुत प्रयत्न करने के बाद कांग्रेस मिनिस्ट्री ने आयुर्वेदिक प्रणाली की तरफ भी देखा और आयुर्वेदिक प्रणाली को कुछ मान्यता दी गई और कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मातहत बहुत से अस्पताल इस सम्बन्ध में खोले गये । लेकिन मैं सदन के सामने आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि यह दोनों प्रणालियां किसी न किसी माने में हमारी ग़रीबी को देखते हुये खर्चीली पड़ती हैं । होम्योपैथिक प्रणाली ही ऐसी प्रणाली है जिसमें कम से कम खर्च में बड़ा से बड़ा और खतरनाक से खतरनाक मर्ज का इलाज किया जाता है। इस उपेक्षा के लिये मैं सरकारी दल को बता देना चाहता हूं और उनसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि जनता के स्वास्थ्य के ऐसे अहम मसलों पर १३ साल लगा देना किसी तरह से क्षम्य नहीं कहा जा सकता ।

हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विद्वान् होम्योपैथिक के हैं। गैर-सरकारी कालेजेज भी बहुत से हैं, कलकत्ता में हैं, बम्बई में हैं और हमारे प्रदेश में भी हैं और उन्होंने बड़े बड़े रिसर्च भी किये हैं और मैं सदन के सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे देश की जड़ी बूटियों से होम्योपैथिक मदर टिंक्चर बनाये जाते हैं जो रा मैटीरियल (कच्चे माल) की शक्ल में अमेरिका भेजे जाते हैं और वहां से उसको शक्तिशाली बना कर हमारे देश में लाये जाते हैं और अमेरिका हमसे फायदा उठाता है। अगर हमारी कांग्रेस मिनिस्ट्री इस सम्बन्ध में इतनी उपेक्षा न करती तो उसको चहिये था कि बहुत सी अनुसंधान शालायें खोलती बहुत सी लेबोरेट्रीज और आब्जरवेट्रीज खोल देनी चाहिये थी जिनमें रिसर्च होता और हमारे देश में काफी बड़े पैमाने पर यह दवायें तैयार की जा सकती थीं । तो मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से जो कि अपनी कर्मठता अध्यवसाय, समय पर काम करने के लिये प्रसिद्ध हैं, से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को लागू करने में देर नहीं करेंगे और ज्योंही यह विधेयक पास हो जावेगा ठोस कदम उठायेंगे। मैं यह भी चाहता हूं कि फौरन जितने डाक्टर्स जो किसी डिग्री कालेज से पास हों उनका रिफ्रेशर कोर्स खोला जाय और यह कोर्स तीन, चार या छः महीने का हो। उसके बाद उनको नियुक्त करके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जितनी डिस्पेंसरीज हैं उनमें एक शाखा खोल दी जाय। जितने जनाना अस्पताल हैं वहां शाखायें खोल दी जायं और देहातों में इसका प्रचार हो। इस प्रणाली के साथ एक ऐसी सुविधा है कि थोड़ा पढ़ने के बाद भी और थोड़ा अध्ययन के बाद भी मामूली रोगों का उपचार किया जा सकता है। मैंने विलक्षण तरीक़े देखे हैं, कालरा, हैजा और प्लेग में और कितने ही मरजों में और मेरा निजी विश्वास है कि होम्योपैथिक ऐसी चीज है जिसका

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

मैं क़ायल हूं और मैं किसी और प्रणाली में इतना विश्वास नहीं रखता। आज तक अगर मुझे एक सौ मर्तबा इलाज कराना पड़ा होगा तो गालिबन मैंने दो मर्तबा आयुर्वेदिक प्रणाली या एलोपैथिक प्रणाली का सहारा लिया होगा। इसलिये मैं इस बात की ओर सरकारी पक्ष का ध्यान दिलाना चाहता हूं और स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अधिनियम में संशोधन होने के बाद जल्द से जल्द इस सम्बन्ध में क़दम उठाया जाय ताकि हमारा प्रदेश इस प्रणाली से तुरन्त लाभ उठा सके।

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी की ओर से होम्योपैथिक मेडिसन (संशोधन) विधेयक, १९५१ ई० में यह संशोधन पेश किया गया है कि 'होम्योपैथिक मेडिसन एसोसियेशन' के स्थान पर शब्द 'बोर्ड' रख दिया जाय इनमें आपस झगड़ा था कि किसके द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाय किसके द्वारा नहीं इसलिये यह संशोधन पेश किया गया है कि बोर्ड के द्वारा ही तमाम कार्यवाही की जाय। जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक़ है मैं इस संशोधन को पसन्द करता हूं। मैंने इस पुराने ऐक्ट की तमाम धाराओं को देखा। पेज ३ पर जो धारा ४ है उसमें लिखा हुआ है कि--

(४) बोर्ड में १५ मेम्बर होंगे जो निम्नलिखित तरीके से नियुक्त किये जायेंगे--

(क) सात ऐसे होम्योपैथिक डाक्टर जिन्हें राज्य सरकार नामज़द करेगी।

जहां तक राज्य सरकार के नामज़द करने का ताल्लुक़ है मैं यह कहना चाहता हूं कि बोर्ड के १५ मेम्बरों में से ७ को सरकार नामज़द करेगी। यह नामज़दगी की चीज़ हमारे उसूलों के खिलाफ़ जाती है। इस उसूल को कांग्रेस वाले भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि हमें सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करना चाहिये। जब हम जनता के बीच जाते हैं तो कहते हैं कि हम सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के पक्ष में हैं लेकिन जो बात बाहर कही जाती है जब हम सदन में आ जाते हैं तो उसके विपरीत काम करते हैं। इस बोर्ड में जो ७ मेम्बर नाजमद किये जा रहे हैं उसके द्वारा हम सत्ता को केन्द्रित करते हैं और जो अधिकार एसोसियेशन को होना चाहिये वह सरकार अपने हाथ में ले रही है। अक्सर यह देखा जाता है कि नामज़दगी वही लोग पा जाते हैं जो चापलूस हुआ करते थे। जिलों में बहुत सी कमेटियां बनाई जाती हैं। प्लानिंग कमेटी और सप्लाई कमेटी बनाई गई और उनमें सरकार की तरफ से नामज़दगियां की गईं।

माननीय अध्यक्ष--जो संशोधन विधेयक हमारे सामने है माननीय सदस्य उसी के ऊपर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। यदि पूरे ऐक्ट की एक एक धारा पर विचार होगा तो इस भवन के समय का अपव्यय होगा जिसकी मैं इजाज़त नहीं दे सकता।

श्री गजेन्द्र सिंह--श्रीमान् जी, इसी के मुताल्लिक जो धारायें हैं उन्हीं पर मैं कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष--उसके लिये किसी दूसरे मौके पर कह सकते हैं या कोई संशोधन ला सकते हैं।

श्री सुल्तान आलम खां--स्पीकर महोदय, सबसे पहले मैं इस होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) बिल के पेश होने पर जनाब को मुबारकबाद देता हूं। जिस वक्त

आप इस सूबे के मंत्री थे और जिस वक्त आपके पास यह मुहकमा था उस वक्त यह बिल हाउस में पास हुआ। उसके बाद में मौजूदा माननीय मंत्री जी को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जिन्होंने इस पर खास तवज्जह की और कोशिशें की। बावजूद इसके कि बहुत देर हुई लेकिन फिर भी उनकी कोशिशों से यह बिल ऐक्ट के रूप में मंजूर हो गया और आज सूबे में नाफिज़ है।

इस ऐक्ट में तरमीम करने के लिये जो यह बिल हमारे सामने पेश है और जहां तक इस बिल के मक़सद का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है। मैंने जो तकरीरें अभी यहां सुनीं उनसे जाहिर होता है कि इस भवन में हर सदस्य इस बात से सहमत हैं कि इस ऐक्ट में इस तरीक़े पर जैसा कि इस बिल में दिया हुआ है संशोधन होना जरूरी है। अगर इस किस्म का संशोधन न आता तो उन लोगों के लिये बड़ी दिक्कतें और दुश्वारियां पैदा होतीं जो अपने आपको प्रोफेशनल तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। हमारे यहां जिस तरीके से बाज और दूसरों मौकों पर और दूसरी चीजों में दलबन्दी होती है, अफसोस है कि इस अच्छे और नोबुल प्रोफेशन में भी कभी कभी दलबन्दी होती है और उसकी वजह से बाज लोगों को जो अच्छे और सही किस्म के हैं इस किस्म के मामले में सामने आने में दिक्कतें होती हैं। यह बिल हमारी तमाम दिक्कतों को दूर कर देगी। इसमें यह लिखा हुआ है कि यह बिल उस वक्त लागू किया जायगा जिस वक्त इस सूबे में जो इब्तदाई ऐक्ट है उसका हिस्सा अव्वल नाफिज होगा। मुझे मालूम नहीं है कि इसका हिस्सा अव्वल इस सूबे में नाफिज है या नहीं है। अगर न हुआ हो तो मैं अपने माननीय मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास हुए और इसे ऐक्ट बने हुए काफी जमाना हो गया है इसलिये इसका हिस्सा अव्वल कम से कम जल्द से जल्द यहां नाफिज होना चाहिये।

जनाबवाला, यह बिल कौंसिल में पेश था और कौंसिल से पास होने के बाद यह बिल इस भवन के अन्दर आया है। उस वक्त इस सिलसिले में जो मुबाहिसे हुए उनको मैंने अखबारों में दिलचस्पी से पढ़ा और उसके ऊपर विचार किया। मुझे भी इस सिलसिले में काफी दिलचस्पी रही है। खास तौर से यह बिल जब इस असेम्बली में पेश था तो उस समय मैंने भी इस सिलसिले में कुछ काम किया था। कौंसिल में इस बिल के ऊपर जो मुबाहिसे हुए उनमें मैंने खास तौर से यह देखा है कि बहुत से मेम्बर साहबान ने यह एतराज किया था कि नये होम्योपैथिक डाक्टरों का रजिस्ट्रेशन किया जाय तो उनको इस बात की हिदायत कर दी जाय कि वे इंजेक्शन न दिया करें। इस सिलसिले में हमारे मंत्री जी ने भी कुछ तकरीर फरमायी है। जाहिर है कि इस सिलसिले में मैं एक लेमैन हूं। बहुत से माननीय सदस्य जो कि होम्योपैथिक से काफी दिलचस्पी रखते हैं लेकिन सिवा उनके जो कि डाक्टर हैं जिन्हें इसकी कुछ अमली जानकारी हो सकती है वर्ना आम तौर से लेमैन की हैसियत से ही है। मैं यह नहीं कह सकता कि होम्योपैथिक डाक्टरों को इंजेक्शन देने की इजाजत होनी चाहिये या नहीं लेकिन इस पर एक्सपर्ट ओपीनियन लेना जरूरी है और उस पर वे जैसा फैसला दें वैसा किया जाय। यह मैं जरूर जानता हूं कि जहां तक इंजेक्शन देने का ताल्लुक है आज कल के जमाने में न सिर्फ होम्योपैथिक डाक्टर बल्कि बहुत से वैद्य और हकीम भी इंजेक्शन से काम लेते हैं। मैं नहीं कह सकता कि उनका इंजेक्शन काम में लाना कहां तक सही है। लेकिन अगर वैद्य और हकीम जो एलोपैथिक उसूल को नहीं मानते वे इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेरी समझ में कोई वजह नहीं मालूम होती कि होम्योपैथिक डाक्टर भी उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य उसूलों से आगे बढ़ रहे हैं।

श्री सुलतान आलम खां---हुजूर जैसा हुक्म दें वही मैं करूं। इस सिलसिले में मैंने अपने सजेशन सुझाव पेश किये थे। एक चीज मैं और पेश करना चाहता हूं कि इस बिल का मकसद यह है कि पब्लिक हेल्थ का जहां तक सवाल है उसमें जितने सिस्टम हैं और जितने हमारे मुल्क में चलते हैं उन सबसे हमको काम लेना है। हमारे सामने भोर कमेटी की रिपोर्ट है। इस सूबे की मेडिकल डिपार्टमेंट की रिआर्गनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट है। उन सबका यह कहना है कि हमारे यहां डाक्टरों की कमी है, हमारे यहां नर्सों की कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिये हमारी सरकार ने इन पिछले सालों में बहुत गैर-मामूली कदम उठाये हैं लेकिन जब तक हमारे ये सब. मेडिकल सिस्टम मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं समझता हूं यह मसला हल नहीं हो सकता। हमारे यहां हिकमत है, वैद्यक है, एलोपैथिक और होम्योपैथिक है। अगर इन सब को मिलाकर एक बोर्ड बना दिया जाय और सरकार उसका साथ दे तो मैं यह समझता हूं कि इससे हमारे मुल्क को बहुत फायदा हो सकता है और खास तौर पर देहात का बहुत फायदा हो सकता है।

अभी मेरे एक भाई ने तकरीर की। उनका यह ख्याल था कि जहां तक हमारी देशी दवाओं का ताल्लुक है यानी जड़ी बूटियों का, वे हमारे लिये ज्यादा मुफीद हो सकती हैं क्योंकि जिस आबोहवा में हम रहते हैं उस आबोहवा की दवायें हमको ज्यादा फायदा कर सकती हैं। यह उसूली बात है और इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहां ख्वाह वह वैद्यक हो, हिकमत हो कोई भी हो हमको इन देशी दवाओं को इस्तेमाल करना चाहिये लेकिन इसके अलावा जो एलोपैथिक और होम्योपैथिक सिस्टम है और जो उसकी दवायें हैं और अच्छा काम करती हैं अगर उनका भी तजुर्बा कर लिया जाय तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं है क्योंकि हमारे सामने तो उसूल यह है कि फायदा होना चाहिये और ज्यादा खर्च भी उसके लिये हम नहीं कर सकते हैं। इस वास्ते इस तरीके पर कोई बोर्ड बना दिया जाय तो उसके मातहत शहरों कस्बों और खास तौर पर गांवों में हर शख्स को मेडिकल मदद मिल सकती है और हर शख्स को मेडिकल ऐड [सहायता] पहुंच सकती है और किसी को इसकी दुश्वारी नहीं हो सकती है। मैं जानता हूं कि यह ऐक्ट अब पास हो रहा है और इसके बाद नाफिज हो जायगा। मेरी माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त है कि अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिये जरा कोशिश करने की तकलीफ करें। हमारा जो यह बोर्ड बन रहा है वह जल्द से जल्द कायम होना चाहिये। इसके साथ साथ हमको इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि इस ऐक्ट का पहला पार्ट जल्द से जल्द मुकम्मिल हो जाय ताकि इसका दूसरा पार्ट भी नाफिज हो सके। मुझे यकीन है कि इस हाउस का हर मेम्बर और हर जमात इस हाउस के बाहर और अन्दर इस बिल के पास होने के बाद पूरी मदद करेगी और इसके साथ ही साथ उनको आशीर्वाद भी मिलेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय श्री सुलतान आलम ने जैसा कहा वह बात मैंने नहीं कही थी। मैंने कहा था हमारे यहां जो यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वह देशी होने की वजह से हमारे देश के लिये उपयुक्त हो सकती हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री---जनाबवाला, मैं सिर्फ यह अर्ज करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि होम्योपैथिक बिल जो कि पहले पास हो चुका है और जो इस वक्त तफसील के साथ हाउस के सामने नहीं है उसके अन्दर आज यह एक तरमीमी बिल आया है जो कि एक लब्जी ही तरमीम है। जहां इस एसोसियेशन का ताल्लुक था वह अब एक बोर्ड में बदल जायगा। यह पूरे तौर पर जो इसके अन्दर मतलब है वह सबके सामने है। एक चीज की तरफ मैं सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि

बोर्ड जो सर्टीफिकेट देगा उसमें गवर्नमेंट को यह देखना है कि वह शुरू में लोगों को सर्टीफिकेट देने में नरम से नरम पालिसी अख्तियार करें। मेरा ताल्लुक होम्योपैथी से एक अर्से से बहैसियत इल्म के रहा है गोकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता। लेकिन एक कालिज इलाहाबाद में है जिसका मैं सदर रहा हूं।

अगर बोर्ड के अन्दर रजिस्टर कराने में या लोगों को सर्टीफिकेट देने में सख्ती से काम लिया गया तो मैं आनरेबिल मिनिस्टर से जो शायद बातें करने में मशगूल हैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि लोगों को बहुत मुश्किल होगी। इसलिये जो भी बोर्ड आप बनावें और उसमें जो भी तरीका लोगों के सर्टीफिकेट लेने का रखें वह ज्यादा से ज्यादा आसान हो। यह बात शुरू में और भी जरूरी हो जाती है। अगर ऐसा न किया गया तो यह काम रुक सा जायगा। मैं सरकार को फिर मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अब वह वक्त आ गया है कि होम्योपैथी को कानूनी शक्ल में लाकर इसको मुनज्जम किया जा रहा है। मैं समझता कि आनरेबिल मिनिस्टर जानते होंगे कि किस दिक्कत से यह बिल ऐक्ट बना था। इसको अब यू० पी० के अन्दर चलाया गया है, बंगाल में तो यह हुनर बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन अब यू० पी० के अन्दर भी यह फन बढ़ता जा रहा है। इलाहाबाद में मैंने मुख्तलिफ डाक्टरों के यहां जाकर देखा कि इससे गरीबों को फायदा हो रहा है और इलाजों के मुकाबले इसमें सिर्फ सीफर के बराबर खर्चा है। इसलिये मुझे यकीन है कि आनरेबिल मिनिस्टर साहेब इस तरफ तवज्जह फरमायेंगे कि रजिस्टर कराने में दिक्कत न हो।

श्री राम नरेश शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे भाई ने एक डाक्टर की हैसियत से अपनी सलाह माननीय मंत्री जी को दी कि वह इस बोर्ड को ऐसी हिदायत दें कि लोगों को रजिस्टर कराने में आसानी हो जाय। मुझे बहुत मर्तबा होम्योपैथी की दवाइयां लेने का मौका मिला है और हजारों लोगों को भी ऐसा मौका मिला होगा। लेकिन मैं अपने साथी की राय से मुत्तफ़िक़ नहीं हो पाता। आज देखा यह जाता है कि इस देश में होम्योपैथी डाक्टरों की संख्या इस तरह से बढ़ती जाती है जैसे चुनाव के दिनों में तरह तरह की पार्टियां बन गई थीं। जिस मोहल्ले में देखिये, जिस दफ्तर में देखिये, जिस जगह पर देखिये, एक किताब लेकर के कोई भी डाक्टर बन जाता है। जहां तक मैंने इस कानून के आने की मंशा को समझा है, उसकी हार हो जाती है अगर हम सदस्य इस बात की सलाह माननीय मंत्री को दें कि वह रजिस्टर कराने में कुछ आसानी बरतें क्योंकि आज बहुत डाक्टर बढ़ गये हैं। मैं अभी इस कानून को पढ़ रहा था, उसमें कहीं यह नहीं पढ़ा कि जो आज कल रजिस्टर हो रहे हैं उनको कैसे घटाया जाय। इसमें इस तरकीब की भी गुंजाइश होनी चाहिये थी क्योंकि मुल्क के अन्दर ज्यादा तादाद में डाक्टर हो जाना कोई बड़ी खूबी नहीं है। जो डाक्टर हों वे काबिल डाक्टर हों और ऐसे डाक्टर हों जिनकी दवाओं से ज्यादा फायदा हो। डाक्टर ज्यादा हो जायं और वे दवायें अपने फायदे के लिये दें, तो इससे हमारे मुल्क और प्रान्त का नुकसान होगा और जो लोग समझते नहीं हैं वे ऐसे डाक्टरों के चक्कर में पड़ करके सही डाक्टरों के पास नहीं पहुंचेंगे और अपनी जान से भी हाथ धो डालेंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने मंत्री महोदय से, जो संघटन करने में इस देश में एक बहुत बड़े संघटन-कर्ता हैं, यह प्रार्थना करूंगा कि इस मुहकमे में भी काफी तवज्जह दे करके और काफी सख्ती बरत करके जो मौजूदा डाक्टर हैं उनकी तादाद घटा करके और सही डाक्टरों को रजिस्टर करके इस प्रांत की सेवा करने का अवसर दें।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें जो इस सदन में इस समय कही गयीं उनका संबंध उस संशोधन से तो था नहीं जो संशोधन मैंने इस भवन के विचारार्थ उपस्थित किया। बहुत सी बातें जिनका जिक्र आज यहां किया गया है वे उस समय भी कही गयीं थीं जब यह विधेयक भवन में पहिली बार विचारार्थ उपस्थित किया गया था। इस लिये उन तमाम बातों का उत्तर देना तो मैं जरूरी समझता नहीं और न उसकी कोई

[माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त]

आवश्यकता ही है। परन्तु एक बात का उत्तर मैं अवश्य दे देना चाहता हूं जो श्री राम नारायण जी ने अभी सदन के सामने उपस्थित की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई वर्षों से होम्योपैथिक की उपेक्षा की है और यह सरकार १३ वर्ष के बाद अब इस प्रकार का विधेयक एक अधिनियम के रूप में बना सकी है। मुझे यहां इतना कहना है कि जहां तक इस सरकार का संबंध इस विधेयक को अधिनियम के रूप में बनाने का है, सन् १९४७ में उसने इस विधेयक को पास कराया था। विधेयक गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिये भेजा गया था परन्तु दुर्भाग्यवश केन्द्रीय सरकार ने और गवर्नर जनरल महोदय ने इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करने में असमर्थता प्रकट की। उन्होंने यह कहा कि सरकार या गवर्नर जनरल महोदय उस विधेयक के ऊपर अपनी स्वीकृति उस समय तक नहीं देंगे जब तक कि उस कमेटी की रिपोर्ट जिसे केन्द्रीय सरकार ने नियुक्त किया था छप न जाय। उनका तात्पर्य होम्योपैथिक कमेटी से था जिसे केन्द्रीय सरकार ने सन् १९४८ के आखिर में होम्योपैथिक के संबंध में विचार करने के लिये नियुक्त किया था। यही वजह थी कि वह विधेयक जिसे हमने प्रेसीडेंट महोदय की स्वीकृति के लिये भेजा था उस समय अधिनियम नहीं बन सका। साथ ही जो विधेयक हमने यहां पास किया था उसमें भी केन्द्रीय सरकार ने कुछ आपत्तियां उठाई थीं और प्रदेश की सरकार के और इस भवन के सामने कुछ सुझाव भेजे थे। वे सुझाव इस बोर्ड के निर्माण से सम्बन्ध रखते थे।

अभी एक माननीय सदस्य ने बोर्ड के निर्माण के संबंध में कुछ आपत्ति की है और उन्होंने यह कहा है कि सरकार ने जो अपने हाथ में ७ आदमियों को नामजद करने की ताकत रखी है वह बहुत सही नहीं मालूम होती। उनका तजुर्बा नामजदगियों का अच्छा नहीं है। मैं ऐसे माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो विधेयक हमने पहले इस भवन ने विचार करके पास किया था उस विधेयक में नामजदगियां तो थीं परन्तु थोड़ी नामजदगियां थीं।

माननीय अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इस वादविवाद को रोक दिया था और इसलिये माननीय सदस्य बैठ गये थे। इसलिये उसके ऊपर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि आपकी ऐसी आज्ञा है तो मैं उस विषय के ऊपर अब अधिक प्रकाश डालने की चेष्टा नहीं करूंगा। मुझे और अधिक अब इस संशोधन के विषय में कहना नहीं है। माननीय सदस्य इसको स्वीकार करते हैं ऐसा मुझे उनके भाषण से प्रतीत होता है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १ और २

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० में कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधन करने के निमित्त विधेयक

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८।

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० में इसमें आगे दिये हुये प्रयोजनों के के लिये संशोधन किया जाय:

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० होगा। संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ।

(२) यह उक्त दिनांक से प्रचलित होगा जिस पर उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० का भाग १ प्रचलित होगा। १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८।

२—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, १९५१ ई० के परिशिष्ट के पैरा ३ में शब्द "उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिकल एसोसियेशन के स्थान पर शब्द "बोर्ड" रक्खा जायगा। १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८ के परिशिष्ट (शेड्यूल) का संशोधन।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, २, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लंका के आद्यवासी भारतीय नागरिकों के शांति-पूर्ण सत्याग्रह पर बधाई का प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष—अब मैं समझता हूं कि कोई सरकारी कार्य इस सदन के सामने नहीं है। एक प्रस्ताव माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कल मेरे पास भेजा था जिसे वह सदन के सम्मुख उपस्थित करना चाहते हैं। उसके लिये मैंने माननीय नेता सदन से बातचीत करके उनकी सलाह से यह निश्चय किया कि यह प्रस्ताव इस भवन में उपस्थित किया जाय, लेकिन सरकारी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। इसलिये मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी से कहूंगा कि वह अपना प्रस्ताव उपस्थित करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं पहले आपके सम्मुख अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

"यह सदन लंका के भारत सूत्री नागरिकों की उचित मांगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुये उनके शांतिपूर्ण सत्याग्रह के लिए हार्दिक बधाई देता है।"

श्रीमान्, लंका में जो भारत सूत्री नागरिक हैं उनके सत्याग्रह के संघर्ष के बारे में इस भवन के आदरणीय सदस्यों को ही नहीं, इस प्रान्त की जनता को ही नहीं, बल्कि सारे देश को और सारे संसार को उस संघर्ष का इतिहास मालूम है।

आज इस प्रस्ताव को आपके द्वारा मैं इस भवन के सम्मुख पेश करके कोई सरकारी आपत्ति नहीं चाहता और न मैं यह चाहता हूं कि भारतीय या लंका की सरकार के बीच कोई संबंध खराब हो जांय। आप जानते हैं कि जैसा कि हमारी भारत सरकार ने भी अपनी घोषणाओं में कहा कि लंका की सरकार से किसी प्रकार की कोई अन्तर्राष्ट्रीय खींचातानी हमारी सरकार नहीं करना चाहती। हमारे भारत के प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम तो लंका

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

को अपना पड़ोसी देश मानते हैं और एक छोटे भाई की तरह से हम व्यवहार करते हैं। तो वैसे तो वैधानिक रूप से कहा जा सकता था कि यह प्रश्न पार्लियामेंट का था। इसको एक प्रांतीय विधान सभा में उठाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन हमने यह देखा कि मद्रास विधान सभा ने, जिसका नेतृत्व श्री राजागोपालाचारी जैसे महान वैधानिक तत्ववेता के हाथ में है एक मत होकर अपने सदन में इस प्रस्ताव को पास किया। तो वहां पर जो वादविवाद हुआ, जो बातचीत हुई, उसके अनुसार मैंने भी यह उचित समझा कि हम भी अपने प्रान्त की जनता की भावनाओं को, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को व्यक्त करें। चाहे वह सरकारी बेंच पर बैठते हों, चाहे वह किसी भी विचारधारा के हों, कांग्रेस के अथवा समाजवादी विचार धारा के हों, हम सब एक इन्सानियत के, इस मानवता के उसूल को मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक नागरिक जो किसी भी देश में रहता है जिसका विश्वास वहां के संविधान में है तो उसको वहां की नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिये। दक्षिणी अफ्रीका के बारे में भी, पैलेस्टाइन के बारे में भी और जहां-जहां भी इस प्रकार के सवाल उठे, हम लोगों ने इस प्रश्न का समर्थन किया। इस भवन में ही, जब मैंने पुरानी प्रोसीडिंग्स को देखा तो पैलेस्टाइन के पार्टीशन के मौके पर इस भवन में यह सवाल उठा था और सरकार की तरफ से ही वह सवाल उठाया गया था तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा भवन के आदरणीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को पास करना बहुत ही सामयिक होगा और इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि अगर प्रान्तीय सरकार के द्वारा भारत सरकार के पास भेजें और भारत सरकार से यह अनुरोध करे कि इस प्रदेश की जनता की भावना इस लंका के नागरिकों के प्रश्न पर क्या है, तो मैं समझता हूं कि वह एक बड़ी सामयिक बात होगी।

हम यह नहीं चाहते कि जो लंका में भारतीय हैं वे कोई इंडियन सिटीजन कहे जायं, भारतीय नागरिक कहे जायं। हम तो कहते हैं कि वे तो लंका के ही नागरिक हैं। उनका ओरिजिनल जरूर भारतीय है। वे भारत सूत्री जरूर हैं। लेकिन हम यह कहते हैं कि यह समझ कर कि यह भारतीय हैं, इनकी परम्परा भारतीय है, ये भारतीय भाषा भाषी हैं या पाकिस्तान की भाषा को इस्तमाल करते हैं, इसलिये इनको लंका का नागरिक न बनाया जाय, यह आम तौर पर अच्छा सिद्धांत नहीं है। तो इसलिये मैं इस भवन का समय न लेकर मंत्रिमंडल के सदस्यों से और दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि जो मेरा मोशन है, जो बधाई का मोशन है, उसको स्वीकार करें। यह बधाई क्या है जिन्होंने भारतीय परम्परा को मानकर अपने अधिकारों के लिये सत्याग्रह किया, यह उनके लिये बधाई है। थांडमन साहब और अब्दुल अजीज, जिन्होंने वहां सत्याग्रह का नेतृत्व किया, वह हमारे प्रत्येक भारतीय घर के लिये एक आदर्श लिये जाने वाले नाम हो गये हैं। उन सत्याग्रहियों के लिये भी यह एक बधाई की प्रस्तावना है। मैं समझता हूं कि इसे हमारी सरकार भी कोई गड़बड़ी की बात या कोई अन्तर्राष्ट्रीय संबंध को बिगाड़ने वाली बात न समझेगी, बल्कि एक उसूल की बात, एक मानवता की, नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार करने की बात मानेगी, तो इस प्रस्तावना के साथ मैं इस भवन के समक्ष अपना प्रस्ताव नम्रतापूर्वक पेश करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि हमारे मंत्रिमंडल के जो यहां पर सदस्य बैठे हुये हैं और जो अन्य बहुमत दल के सदस्य बैठे हुये हैं वे मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनःआरम्भ हुई।)

श्री देवकी नन्दन विभव—अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे सामने प्रस्ताव के टेक्स्ट के पूर्ण शब्द नहीं हैं.....

माननीय अध्यक्ष—आप अपना संशोधन पहले पढ़ दीजिये।

श्री देवकी नन्दन विभव--मैं चाहता हूं कि जहां लंका के प्रवासी भारतवासियों का जिक्र किया गया है वहां दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतवासियों का भी जिक्र किया जाय और मेरा दूसरा संशोधन यह है कि जहां 'बधाई' का शब्द रखा गया है वहां 'सहानुभूति' का शब्द रखा जाय और उसके साथ ही यह शब्द भी जोड़ दिये जायं कि "और उन देशों के निवासियों से आग्रह करते है कि वह उन के मानवोचित अधिकारों को दिलाने में उन्हें अपना सहयोग प्रदान करें।"

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायण दत्त तिवारी को इस प्रस्ताव को इस सदन में लाने के लिये धन्यबाद देता हूं। वास्तव में हमारे लाखों प्रवासी भारतवासी जो आज दूसरे देशों में अपने मानवोचित अधिकारों के लिये जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके प्रति यदि हम अपनी सहानुभूति प्रकट न करें तो हमारे लिये यह मुनासिब न होगा। खास तौर से अभी जब हम लंकावासियों का जिक्र करते हैं और वास्तव में वह जो प्रयत्न कर रहे हैं वह बहुत सराहनीय है और मैं समझता हूं कि प्रत्येक भारतवासी को उन के इस प्रयत्न के साथ सहानुभूति है। मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना आवश्यक नहीं समझता कि अभी समीप काल तक लंका हमारे देश का एक अंग रहा है और उसकी संस्कृति का भारतवासियों की संस्कृति से बहुत पुराना संबंध है। जहां हम अंग्रेजी राज्य को दूसरी बातों के लिये धन्यवाद देते हैं वहां आज हम यह भी पाते हैं कि जहां हमारे देश को एक ओर लंका से अलग किया गया है वहां बर्मा को भी हम से अलग कर दिया गया है और आज यह दुर्भाग्य की बात है कि उस देश में जो कल तक हमारे देश का अंग था वहां आज हमारे प्रवासी भारतवासियों को उनके साधारण नागरिक अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं और उसके लिये उन्होंने जद्दोजहद और आन्दोलन प्रारम्भ किया है।

माननीय अध्यक्ष--मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास मूल प्रस्ताव मौजूद है क्या?

श्री देवकी नन्दन विभव-- जी नहीं।

माननीय अध्यक्ष--आपने संशोधन अभी मेरे पास भेजा है और वह संशोधन प्रस्ताव से कुछ मिलता जुलता नहीं है। उसे आप जरा दुरुस्त कर लें।

श्री देवकी नन्दन विभव--अध्यक्ष महोदय, जब यह मूल प्रस्ताव के शब्द मेरे सामने हैं तब मैं उसमें संशोधन इस प्रकार करना चाहूंगा कि 'यह सदन लंका के भारतियों तथा दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतवासियों की उचित मांगों के ऊपर सहानुभूति प्रगट करता है और उन देशों के अन्य वासियों से आग्रह करता है कि उनके मानवोचित अधिकारों के दिलाने में उन्हें अपना सहयोग प्रदान करें। यह सदन उनके शांतिपूर्ण सत्याग्रह''

माननीय अध्यक्ष--मैं इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। यह प्रस्ताव एक बधाई के प्रस्ताव के रूप में इस भवन के सामने आया हुआ है। माननीय सदस्य यदि और लोगों को भी बधाई देना चाहते हैं तो एक दूसरा प्रस्ताव भी अलग से साउथ अफ्रीका के संबंध में पेश कर सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और न भवन को आपत्ति होगी। उपस्थित प्रस्ताव के संबंध में अगर कोई शाब्दिक अमेंडमेंट हो तो पेश किया जा सकता है और यह भवन उस पर वादविवाद कर सकता है लेकिन उसके साथ इस प्रकार के संशोधन का जोड़ लगा देना, मैं समझता हूं, बधाई के प्रस्ताव में उचित न होगा।

श्री देवकी नन्दन विभव--तब ऐसी सूरत में मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं और फिर किसी अवसर पर दक्षिणी अफ्रीका के संबंध में अपना प्रस्ताव पेश करूंगा।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री सूरेश प्रकाश सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं नारायण दत्त जी तिवारी द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव पर उन्हें बधाई देता हू और उनके प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं। श्रीमान्, आज कल कहा यह जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय रवैया यह है कि अन्तर्राष्ट्र आपस में एक दूसरे से बहुत नजदीक हो रहे है। पिछली लड़ाई के बाद अन्तर्राष्ट्र द्वारा नियुक्त किया हुआ

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

यू० एन० ओ० भी सब राष्ट्रों को इसी ओर लाने का प्रयत्न कर रहा है, परन्तु श्रीमन्, साउथ अफ्रीका में डाक्टर मलान की नीति और अभी सिलौन में जो कुछ भारतीयों के प्रति हो रहा है उसको देखते हुये कुछ लोगों को शक है कि यू० एन० ओ० इस कार्य में कोई सफलता पा रहा है।

जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है इसमें कोई वादविवाद की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसे माननीय सदस्य होंगे जो इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन न करते हों। यह प्रस्ताव जो हमारे भारतीय अपने राइट्स के लिये वहां पर सत्याग्रह कर रहे हैं उनको बधाई देने के लिये प्रस्तुत किया गया है। सभी माननीय सदस्यों को विदित ही है कि आज कल लंका में क्या परिस्थिति है और उसके कारण हमारे भारतीयों को वहां की सरकार के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिये मैं भवन का अधिक समय नष्ट न करके इतना ही फिर से दोहराऊंगा कि मैं अपने दल की ओर से माननीय प्रस्तावक के इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री वंशीदास धनगर--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे सामने एक माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है वह इस प्रकार है कि लंका के भारतीय नागरिकों की उचित मांगों के प्रति सहानुभूति प्रगट करते हुये उनके शांतिपूर्ण सत्याग्रह के लिये यह सदन हार्दिक बधाई देता है। वास्तव में चीज यह है कि इस प्रस्ताव के प्रस्तावक हमारे माननीय सदस्य बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। आज सारे संसार में यह भावना व्यापक है कि आज हमारा उद्धार किसी भी भावना से, किसी भी तरह के विचारों से हो सकता है तो वह अन्तर्राष्ट्रीय विचारों और भावनाओं से ही हो सकता है। कोई समय था जबकि देश की भावना का यानी नेशनेलिज्म का ही बोलबाला था, लेकिन आज संसार जैसा कि वह संगठित होने जा रहा है और जिससे हम लोग कुछ आशावादी हो सकते हैं उसमें बड़ी भारी आवश्यकता इस बात की है कि सभी तरह से हम लोग अंतर्राष्ट्रीयता में ही विश्वास रखें तब एक देश का ही नहीं बल्कि सारे संसार का भला हो सकता है। वह चीज चली गई और अब बहुत दूर है कि एक देश एक देश के लिये ही जिये और मरें। आज सारे संसार की समस्या तब ही सुलझ सकती है जब कि हम मनुष्यता में विश्वास करें और मनुष्यमात्र में भलमनसाहत में ही लोगों का विश्वास हो। फिर जहां तक हमारे समीपवर्ती लंका टापू का संबंध है उसका संबंध हमारे देश से बहुत घनिष्ट है और रह चुका है और इस समय भी हमारा पड़ोसी द्वीप है। इससे पहले लंका का सभी तरह का सम्पर्क हमारे देश से था। ऐसी अवस्था में यह बड़े दुख की बात है कि वहां की जो इस समय की गवर्नमेंट है उसने इन भारतीयों के साथ, जो वहां पर बहुत दिनों से रह रहे थे, यह उचित नहीं किया कि उनको नागरिक अधिकार से जो सभी प्रकार से वांछनीय थे वंचित रखा। वहां पर कुछ भी हो लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि वहां की गवर्नमेंट उनको मानवोचित अधिकार नहीं देती है। इसलिये हम लोगों की उनके साथ सहानुभूति होना स्वाभाविक ही है। इस स्थिति में वे लोग बधाई के पात्र इसलिये हैं कि वे लोग एक बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से अपने मानवोचित अधिकारों को पाने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं जो कि भारतीय संस्कृति का एक पुराना उदाहरण है कि हम लोग अपनी मांगों को इस प्रकार से रखें जो सभी प्रकार से वैधानिक हों मानवोचित हों और शांतिपूर्ण हों और मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रस्ताव पर सदन के किसी भी सज्जन के विरोध में होने की कोई बात नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ बैठता हूं।

श्री लाल बहादुर सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां श्री नारायण दत्त तिवारी के प्रस्ताव का संबंध है उसका विरोध किसी को नहीं हो सकता। लंका के जो भारतीय हैं उनसे सभी को सहानुभूति इस वक्त है, लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखना है कि हमारा एक संविधान है जिसमें वैदेशिक नीति और प्रवासी भारतीयों का विषय

यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है और हमारे भारतीय पार्लियामेंट का इसके प्रति कर्त्तव्य है और वह लोग अपने कर्त्तव्य को भूले भी नहीं हैं और अगर वह भूलते हैं तो हमें यूनियन पार्लियामेंट का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिये न कि एक प्रस्ताव पास करना चाहिये। उनसे सहानुभूति रखते हुये मैं समझता हूं माननीय नारायण दत्त जी अपने प्रस्ताव को इस बात पर विचार करके वापिस लेंगे।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव नारायण दत्त जी ने इस भवन के विचारार्थ उपस्थित किया है वह कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसमें किसी वादविवाद की आवश्यकता है। वह ऐसा प्रस्ताव है जिससे कि सदन के हर व्यक्ति की सहानुभूति है और इस प्रदेश की सरकार और विधान सभा के सारे कांग्रेसी सदस्य उस प्रस्ताव से सहमत हैं। जहां तक प्रस्ताव से संबंध रखनेवाली बातों का संबंध है उनके सिलसिले में केन्द्रीय सरकार विचार ही नहीं कर रही है बल्कि उसने लंका की सरकार को लिखकर भेजा है कि जो मांगें प्रवासी भारतीयों ने वहां की सरकार के सामने उपस्थित की हैं वह जायज हैं और उन मांगों को स्वीकार कराने के लिये जिन तरीकों का वह प्रयोग कर रहे हैं वे भी जायज हैं। ऐसा करके केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। यह दुख का विषय है कि लंका की सरकार प्रवासी भारतीयों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करती है। लंका भी उस कामनवेल्थ का सदस्य है जिसका यह देश है और उसके सदस्यों में से अधिकांश में यह भावना रही है कि वह उस प्रदेश में रहने वाले प्रवासियों के प्रति कोई ऐसा व्यवहार न करें जिससे ऐसी बात टपके कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। यही वजह है कि कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैन्ड में हमारे प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार मिले हैं। आस्ट्रेलिया में तो सन् १८२२ या २३ में नागरिकता के अधिकार प्रवासी भारतीयों को प्रदान किये गये थे और कैनाडा और न्यूजीलैण्ड में लगभग १९४५ में इस प्रकार के अधिकार मिले हैं। यह दुख का विषय है कि लंका की सरकार हमारे प्रवासी भारतीयों को वह अधिकार प्रदान न करे और विशेषकर जब कि उन्होंने खुद ही सन् १९४८ ई० में नागरिकता संबंधी अधिकार कानून पास किया है जिसके अन्तर्गत हमारे प्रवासी भारतीय भी लंका के नागरिक बन चुके हैं। सन् १९४८ ई० का कानून लंका की नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने के लिये यह अधिकार प्रदान करता है कि जो व्यक्ति वहां रोजगार करता है और जो काफी अरसे से उस देश में रह रहा है वह वहां का नागरिक समझा जायगा। उस कानून के अन्तर्गत वह प्रवासी वहां के नागरिक बन गये।

जब हम कहते हैं कि लंका के इन निवासियों के प्रति हमारी सहानुभूति है उसके मानी यही हैं कि वे लोग जो आज वहां के कानून के अन्तर्गत वहां के नागरिक हैं उन्होंने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये जो तरीका अपनाया है वह हमें प्रिय है। उनके प्रति हमें सहानुभूति है क्योंकि उन्होंने उसके लिये उन्हीं तरीकों को बरता है जिनको अपनाकर इस देश ने अपनी गुलामी को दूर किया। उन्होंने उस तरीक़े को बरता है जो आजादी हासिल करने का, अपने हकूक हासिल करने का एक नया तरीका इस दुनिया में है। हमारा ऐसा विश्वास है कि जो पददलित हैं, जो गिरे हुये हैं, उन्हें यह तरीका शक्ति देता है। इसलिये जब प्रवासी भारतीय इस तरीके से अपने अधिकारों की प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं, तो वे हमारी बधाई के पात्र हैं। हमें विश्वास है कि वह उन तरीक़ों से अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सफल होंगे। हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि लंका की सरकार के सामने जो मांगें प्रवासी भारतीयों ने रखी हैं वह उन मांगों को स्वीकार करेगी और इस प्रकार कार्य करेगी ताकि कामनवेल्थ के देशों के रहने वाले व्यक्तियों के बीच में कोई ऐसा मनमुटाव न पैदा हो जिससे हम कामनवेल्थ के अन्दर काम ही न कर सकें। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने

[माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जो कदम लंका की सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये उठाया है, उसमें उसे सफलता होगी। उन प्रवासी भारतवासियों के प्रति जो आज लंका में रह रहे हैं और जिन्होंने लंका को ऊंचा उठाने में योग दिया है। जिस प्रस्ताव को नारायण दत्त जी ने रखा है उसका सरकार की ओर से और अपने पीछे बैठने वाले साथियों की ओर से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह भवन एक मत से इसे स्वीकार करेगा।

श्री कमला सिंह---अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जो प्रस्ताव हमारे माननीय सदस्य नारायण दत्त जी ने रखा है वह प्रस्ताव नागरिक अधिकारों से संबंध रखता है। इस भारतवर्ष के कुछ नागरिक लंका में जाकर बस गये हैं। लंका के निवासियों को वहां सिटीजनशिप (नागरिकता) के अधिकार दे दिये गये हैं, लेकिन जो प्रवासी भारतीय हैं उनको उन अधिकारों से वंचित रखा गया है। जब कि आज किसी भी देश में रहने वाले ईक्वल राइट्स आफ फ्रेंचाइज (बराबर मताधिकार) पाते हैं लंका सरकार ने उनको राइट आफ फ्रेंचाइज नहीं दिया है। ये वे निवासी हैं जिन्होंने लंका की उन्नति में हाथ बटाया है, जिन्होंने लंका की प्रोस्पेरिटी (सम्पन्नता) में बराबर हाथ बटाया है लेकिन फिर भी उन लोगों को जो वहां के मूल निवासी नहीं दूसरे मुल्कों से वहां आकर बस गये हैं, उन अधिकारों से वंचित किया गया है। ऐसी हालत में जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है यह जो कांस्टीट्यूशन है उसमें भी यह देखा गया है कि यह कांस्टीट्यूशन की मुखालिफत नहीं करता है। बल्कि जो प्रीएम्बुल (प्रस्तावना) है उसमें साफ दिया हुआ है कि हमारे नागरिक इक्वल राइट चाहते हैं। ऐसी हालत में लंकावासी भारतीय जो यहां से जाकर उसी विचारधारा को साथ जिससे कि हम लोगों ने स्वतंत्रता हासिल की है या गांधी जी ने जो पाठ पढ़ाया और जिस सत्याग्रह के जरिये से हमें स्वतंत्रता दिलायी उसीसे अपनी नागरिकता का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है। मैं समझता हूं कि जब कि वे सत्याग्रह के जरिये से और सही तरीके से अपने नागरिक अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह अच्छा है। इस सदन के माननीय सदस्यगण अगर इस प्रस्ताव को पास करेंगे तो इससे लंका निवासी भारतीयों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिये मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री फूल सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। भारतवर्ष की पराधीनता का जो पेड़ अंग्रेजों ने इस मुल्क में लगाया था उसकी जड़ तो यहां के रहने वालों ने उखाड़ पर फेंक दी पर ऐसा मालूम होता है कि उस पेड़ की कुछ शाखायें अभी तक साउथ अफ्रीका और लंका में बावजूद उस पेड़ के कट जाने के हरी भरी हैं। यह स्वाभाविक ही था कि जब तक भारतवर्ष पराधीन था तो भारतवासियों को और और मुल्कों में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था जब भारतवर्ष स्वाधीन हो गया तो उनकी पराधीनता उनको बहुत खटकी और भारतवासियों को भी खटकी।

श्रीमान् जी, भारत के स्वाधीन होने के बाद एशिया भर में, अफ्रीका में और और मुल्कों में गहरे परिवर्तन हुए। साउथ अफ्रीका में तो अभी भी कई मुल्कों के बाशिन्दों के साथ न्याय नहीं हो रहा है पर लंका में केवल भारतवासियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। लंका की आबादी का एक बड़ा भाग भारतवासियों का है। शायद कुल आबादी का दसवां हिस्सा हिन्दुस्तानी लोग हैं। फिर वहां की सरकार ने भारतवर्ष की सरकार के साथ मित्रता का नाता जोड़ा है ऐसी हालत में सीलोन की सरकार का यह व्यवहार असंगत है। वहां की सरकार ने शायद अपने कार्य की अनियमितता की जांच नहीं की, तभी उसने यह साहस किया कि केन्द्रीय सरकार को लिखा कि वह लंका में

बसने वाले भारतवासियों को सत्याग्रह करने से मना करे। गौरव की बात है कि केन्द्रीय सरकारने ऐसा करने से मना कर दिया। लंका की सरकार ने सिटीजनशिप (नागरिकता) के राइट को और फ्रेन्चाइज (मताधिकार) को अलग-अलग कर दिया है। यह एक बड़ी अनोखी सी बात है। जहां तक मेरी इत्तिला है लंका में बसने वाले भारतवासी रजिस्टर्ड होकर सिटीजनशिप के राइट को हासिल करते हैं परन्तु उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, यह एक अजीब बात है। इस समय जब कि सब मुल्क जो कि पहले अंग्रेजों के अधीन थे एक कामनवेल्थ में शामिल हो गये हैं, इस समय जब कि सब मुल्क आपस में मित्रता कायम रखना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, और जब यहां सब मुल्क एक दूसरे के प्रेम से और मजबूती से नफा उठा कर आगे बढ़ना चाहते हैं यह नामुनासिब है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के बाशिन्दों को महज इस बिना पर कि वे कहीं और के बसने वाले हैं चाहे वह कभी से वहां पर आबाद हों और वहां मुल्क में रहते हों, वहां कारोबार करते हों, वहीं पैदा होते हों, वहीं मरते हों, केवल इस बिना पर कि वे भारतवर्ष से आये थे उनको वह हकूक न दे जो कि दूसरे मुल्कों में दूसरे मुल्कों के रहने वालों को हासिल हैं। मेरा ख्याल यह है कि जो प्रस्ताव इस आदरणीय सदन में स्वीकृत होगा और जो प्रस्ताव मद्रास सरकार ने स्वीकृत किया है और जो रुख केन्द्रीय सरकार ने लिया है इन सब के फलस्वरूप भारतवासी जो लंका में बसते हैं उनकी कठिनाइयों में कमी होगी और वहां की सरकार इन मामलों को समझकर मुनासिब कदम उठायेगी। श्रीमान् जी, इस प्रस्ताव पर कोई ज्यादा व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है और मैं यह समझता हूं कि जितने दृष्टिकोण इस देश में हैं उन सबका सहयोग इस प्रस्ताव को प्राप्त होने से लंका की सरकार इस बात को सोचेगी कि भारत के सभी लोग चाहे उनमें आपस में कुछ भी मतभेद हों इस मामले पर सब एक राय के हैं और ऐसा होने से लंका में रहने वाले भारतवासियों को बहुत नफ़ा होगा। मैं इन चन्द अल्फाज के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राज नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय लंका के भारतवासियों के लिये बधाई का जोप्रस्ताव भवन के सामने प्रस्तुत है उसका हम सबने स्वागत किया है और ऐसा मालूम हुआ कि हमारे सदन के जितने लोग हैं वह सब इस पर एकमत हैं और ऐसा चाहिये भी। लंका के भारतवासियों को नागरिकता का अधिकार नहीं मिला तो हमें इस बात पर जब विचार करते हैं तो काफी चिन्ता होती है। आखिर आज जब नागरिकता की बात को लेकर जनतन्त्र को बात को लेकर मानवता की बात को लेकर, संसार आगे बढ़ता चला जाता है। दुनिया की तमाम शक्तियां प्रगति का नाम लेकर आगे बढ़ती चली जाती हैं तब दुनिया के कोने में एक छोटा सा देश इस तरह की बात करे यह समझने की बात है। बहुत दिनों से हमारोइस बात की कोशिश थी कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक शक्ति कायम की जाय जो थर्ड फोर्स हो जिससे कुछ दुनिया का सुधार कर सके और जहां पर इस तरह की घटनायें अच्छी नहीं समझीं जायं। इस तरह की शक्तियां जो जो ऐसा करना चाहती हों वह एक खेमे में आजायं। थर्ड फोर्स का शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम यह चाहते हैं कि जो जनतंत्र के हामी हैं, जो नागरिकता को चाहते हैं, जो मानवता के अधिकार के लिये लड़ना चाहते हैं जो विश्व-बन्धुत्व हर नागरिक को देना चाहते हैं वह सब एक खेमे में आजायं। मुझे, आदरणीय स्पीकर महोदय, आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना है कि हमारे देश को चाहिये कि दुनिया में तृतीय शक्ति को मजबूत बनावे। हमें चाहिये कि हम अपने नागरिकों को सचेत करें, कि अगर किसी मुल्क की सरकार प्रतिक्रियावादी क़दम उठाने के लिये भी तैयार हो तो वहां की जनता इसे हरगिज़ न माने।

आज मैं समाज के पंचतत्वों को इस विषय पर बोलते हुये यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। समाज में व्यक्ति, पार्टी, समाज, राज और राज्य में पांच तत्व हैं। राज के मानी आप, सरकार समझिये और राज्य के मानी स्टेट समझिये। आगे मैं सरकार और स्टेट शब्द का प्रयोग करूंगा ताकि सम्मानित सदस्यों को समझने में कठिनाई न हो। व्यक्ति के

[श्री राज नारायण]

कुछ कर्त्तव्य होते हैं। समाज के कर्त्तव्य होते हैं और पार्टी के कर्त्तव्य होते हैं। राज के कर्त्तव्य होते हैं देश के प्रति। मगर जहां राज, स्टेट व पार्टी तीनों का समन्वय हो जाता है वहां तानाशाही आजाती है। मैं चाहता हूं कि यह सदन स्पष्ट आज इस बात पर अपना मत प्रकट करे कि गलत धारणा के विरुद्ध जनता की आवाज़ बुलन्द होनी चाहिये, सरकार और जनता के कुछ कर्तव्य अलग अलग भी हैं। आज वह ताक़त जो सरकार, पार्टी और स्टेट तीनों को एक सूत्र में मिलाना चाहती है नष्ट होनी चाहिये। अगर समाज इन पांचों तत्वों को अलग करके विकसित नहीं होगा, तो यकीन मानिये मैं निहायत अदब के साथ अर्ज़ करता हूं कि वह दिन जल्दी आवेगा जब कि आपके जनतंत्र की बात एक किसी जगह रख कर के समझने सुनने की चीज रह जावेगी।

लंका के नागरिकों ने आज लंका की सरकार की इस प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति के विरोध में जो आवाज़ बुलन्द की है उसमें हमारा भी हिस्सा है। जैसा अभी हमारे माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा, लंका और अफ्रीका जैसे देश जो हिटलैरिज्म को मानते हैं और प्रतिक्रियावादी राज भी कायम करने की मनोवृत्ति रखें, वे भी कामनवेल्थ में शामिल हैं। और हम भी शामिल हैं क्या यह नीति प्रतिक्रिया की ओर नहीं ले जारही है क्या वह नेगेटिव इन्डीकेशन (नकारात्मक इंगित) की ओर ले नहीं जा रही है? डाइलेक्टिक्स में दो बातें होती हैं, पाजिटिव और नेगेटिव। हमको वह स्थिति पैदा करनी चाहिये कि यदि दुनियां किसी कोने में भी मानवता पर आघात करने का कोई क़दम उठावे तो उसका हम हिम्मत के साथ डट कर विरोध करें। प्रतिक्रियावादिता के विरोध में उठने वाली जो ताक़त हो उसको हमारे द्वारा बल प्राप्त हो।

आज हमारी ओर से सदन के सामने जो यह लंका के प्रवासी भारतीयों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, आपको समझना चाहिये कि यह बहुत ही सामयिक प्रस्ताव है और हम केवल सदन में ही प्रस्ताव करके बैठे न रह जायं बल्कि आज जब सदन की कार्यवाही समाप्त हो और हम और आपने-अपने अपने घरों, गांवों और जिलों में जायं तो हम किस सिद्धान्त को प्रतिपादित करें, तानाशाही के सिद्धान्त को प्रतिपादित करें या मानवता के सिद्धान्त को प्रतिपादित करें। मानवता के सिद्धान्त को प्रतिपादित करने की मेरी आपसे अपील है। हम जब गांवों में जायं, जिलों में जायं या चाहे जिस क्षेत्र में जायं वहां इसकी आवाज़ बुलन्द करें कि लंका के प्रवासी भारतीयों के प्रति लंका की सरकार ने जघन्य अपराध किया है। यदि हमने अपने में शक्ति पैदा की होती तो आज लंका की सरकार या अफ्रीका की सरकार के दिल में यह भावना पैदा ही न होती कि वे इस प्रकार का प्रतिक्रियावादी कदम उठायें, परन्तु उस शक्ति को हमने पैदा ही नहीं किया। ऐसा महान् शक्तिशाली देश, इतने बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ देश अगर इस तरह के आदर्श को लेकर आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या छोटे छोटे मुल्क बढ़ेंगे? आप दुनिया की उन शक्तियों से क्या आशा कर सकते हैं जो परस्पर दो विरोधी कैम्पों में बंटी हुई हैं जिनमें एक ओर रूस है और एक ओर अमरीका है, कुछ इसके साथ हैं और कुछ उसके साथ हैं। ये परस्पर दो स्तम्भ खड़े हुये हैं, यदि हमारी पालिसी इन दो स्तम्भों के बीच में ड्रिबंडिल करने (लटकने) की रही तो हमारे लिये इस प्रकार के प्रस्ताव पास करने के समय अक्सर आया करेंगे। यदि आपने मानवता और भाई चारे के सिद्धान्त को लेकर चलने वाली विश्व की शक्तियों को अपने साथ किया तो इस तरह के प्रस्ताव को पास करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी और किसी भी प्रतिक्रियावादी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वह उसके मुल्क में रहने वाले नागरिकों के लिये किसी तरह का निरंकुश कानून बना करके उनको नागरिकता के अधिकार से वंचित करे। इसलिये मैं आपका ध्यान इस मौलिक नैतिक शक्ति के सिद्धान्त की ओर आकर्षित करते हुये आपसे निहायत अदब से अपील करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कीजिये।

श्री पद्मनाथ सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ है, उसके समर्थन का प्रश्न उपस्थित होता है और यह सदन सहर्ष उस प्रस्ताव

का समर्थन करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। कुछ दिनों से भारत के सम्मुख एक बड़ा महत्व का प्रश्न उपस्थित हो गया है। अभी कुछ समय पूर्व अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों का प्रश्न उठा तो वहां से यह आवाज आयी कि यह साउथ अफ्रीका का नेशनल क्वेश्चन (राष्ट्रविषयक प्रश्न) है, इसलिये हिन्दुस्तान या किसी दूसरे देश को नहीं पड़ना चाहिये। अफ्रीका में लगभग दो लाख प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में जो कानून पास हुआ वह उसी तरीके से था जैसे कि मार्शल रेस का प्रश्न हिटलर ने उठाया था। यह प्रश्न नित्यप्रति एक चेतावनी के रूप में संसार के सामने उपस्थित होता जा रहा है और प्रवासी भारतीय बहुत से देशों में फैले हुये हैं। आज इसमें सन्देह नहीं है कि राष्ट्रीयता का जो दायरा संकुचित था वह हट रहा है और अन्तर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में राष्ट्रीयता का अर्थ निकल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि यू० एन० ओ० के द्वारा या संसार के दूसरे देशों के द्वारा एक सरकार का ध्यान सामने आ रहा है। आज संसार में जहां भी ज्यादती हो रही है वहां राष्ट्रीयता के प्रश्न को लेकर के ज्यादती हो रही है और उसके खिलाफ एक जोरदार आवाज उठनी चाहिये। इसीलिये लंका में जो प्रश्न है उसको देश को उठाना चाहिये और इस सदन को यह गर्व भी प्राप्त होगा कि इस प्रश्न को उठाया। यह जरूर है और मैं बड़ी देर से यह सोच रहा था कि जब इस प्रश्न को हम उठाते हैं तो यदि इसमें इतना और कहा गया होता कि लंका की सरकार से भी हम सहयोग और उदारतापूर्ण व्यवहार की आशा करते हैं, ऐसी बात लायी गयी होती तो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि कोआपरेशन (सहयोग) से जब हम देश की उन्नति करना चाहते हैं तो यह अधिक उदारतापूर्ण होता कि उन्हीं से हम अपील भी करते। मैं समझता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और सहयोग और सद्भावना से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसलिये जब हमारी भारतीय सरकार ने इस रास्ते पर क़दम बढ़ाया तो हमने उसका स्वागत किया और मुझे आशा है कि यह सदन भी स्वागत करेगा। इसलिये संघर्ष और लड़ाई की बात न लाकर सहयोग से काम करने की जरूरत है और बड़े ही ठंढे दिल से, सबके सहयोग से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिव नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्यों को मैं बतलाना चाहता हूं कि विदेश में हमारे जो भारतीय भाई रह रहे हैं उनके साथ जो व्यवहार होता है, उस नंगे नाच को मैं स्वतः देख कर आया हूं। मेरे पिता बाहर थे, हम लोग भी बाहर थे। वहां से लौट कर आये हैं। विदेशों में जितने भी भारतीय हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है वह आज मुझे अवसर मिला कि अपने सदन के सम्मुख बतला सकूं। हमारे तिवारी जी ने जो प्रस्ताव यहां पर पेश किया है वह निहायत ही सुन्दर है। इस पर इतनी देर तक बहस होती रही यह आश्चर्य है। जब पहले यह हाउस उठने को था तो मैं समझता था कि यह प्रस्ताव शीघ्र ही पास हो जायेगा।

आज महात्मा गांधी ने जो नान-वायलेंस (अहिंसा) का प्रकाश हमें दिया है वह संसार के कोने-कोने में फैल रहा है। हमको बड़ी आशा है कि संसार मानवता के मार्ग पर चलेगा। भारतवर्ष संसार का गुरु रहा है और रहेगा। इसके लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें और आपको डट कर इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिये जिससे हमारा हर नागरिक जो भारत के बाहर जहां भी हो वह महात्मा गांधी के बताये हुये शांति पूर्ण सत्याग्रह के मार्ग पर चल कर सफलता प्राप्त करे। यही हमारी हार्दिक इच्छा है और प्रत्येक भारतवासी की कामना है। अभी थोड़े देर हुई हमारे एक साथी ने कहा कि इस प्रस्ताव को वापस लेना चाहिये, लेकिन मैं समझता हूं कि यह उनकी भूल है। वह यहां इस समय मौजूद नहीं हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने प्रस्ताव को ठीक समझा नहीं।

[श्री शिव नारायण]

मैं नारायण दत्त जी के प्रस्ताव का समर्थन दिल से करता हूं और मुझे तो बहुत संतोष हुआ कि यह प्रस्ताव हमारी अपोजीशन बेंच से आया, सोशलिस्ट भाइयों ने पेश किया। हम उनसे चाहेंगे कि ऐसे ही दिल साफ करके इस सदन में जितने भी प्रस्ताव आयें उनका समर्थन करें क्योंकि देश के कल्याण के लिये हमें डट कर काम करना है। हम लोगों ने बाहर जो कुछ भी किया एलेक्शन के जमाने में वह किया। यहां पर हम सब की जिम्मेदारी है। और सब को मिल कर रहना है क्योंकि वर्षों के बाद यह स्वतंत्रता हमें मिली है। मैं सदन के प्रत्येक भाई से अपील करता हूं कि वे लोग गांव-गांव और जिले-जिले में जाकर अपने भाइयों को यह दुख की कहानी वर्णन करें जिससे प्रत्येक भारतवासी को यह सुनने और समझने का अवसर मिले कि हमारे भाइयों के साथ बाहर क्या व्यवहार हो रहा है। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं कि मैं स्वयं ब्रिटिश वेस्ट इन्डीज से लौटा हूं जमैका में मेरे फादर रहते थे। मैं आपको बतलाता हूं कि ब्रिटिश वेस्ट इन्डीज में मैं चार रोज स्कूल जाता था और दो दिन स्टेट वर्क कम्पलसरी करना पड़ता था। इस देश के अन्दर चाहे लाल टोपी पहनें, सफेद टोपी पहनें तथा काली टोपी पहनें हम सब को गला जोड़ कर रस्सी के मानिन्द मिल कर देश और संसार की भलाई के लिये महात्मा गांधी के बताये हुये नान वाइलेंस प्रीचिंग को शिरोधार्य करके पालन करना चाहिये। मैं हाउस के समस्त मेम्बरों और अपने स्पीकर महोदय से यह अपील करता हूं कि इस प्रस्ताव को निर्विरोध पास कर दीजिये। मैं इस का समर्थन करता हूं

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस प्रस्ताव में एक छोटा सा संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष——शाब्दिक है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——जी हां। वह संशोधन इस प्रकार है कि प्रस्ताव की पहली पंक्ति में जहां 'भारतीयों' शब्द आया है उसके स्थान पर 'आद्यवासी भारतीय नागरिकों' इस प्रकार रखा जाय। इस संशोधन के सम्बन्ध में मैंने प्रस्तावक महोदय से भी बात कर ली है। प्रस्तावक महोदय का भी आशय यह है कि इंडियन ओरिजिनेटेड (आद्यवासी भारतीय) जो नागरिक वहां लंका में हैं। प्रस्ताव में भारतीयों से जैसा बोध होना चाहिये वह बोध होता नहीं है कि वे इंडियन ओरिजिनेटेड हैं। यह भ्रामक हो जाता है। 'लंका के भारतीय' उपयुक्त शब्द नहीं है, बल्कि लंका में भारतीय ओरिजिनेटेड (आद्यवासी) जो सिटिजन्स (नागरिक) हैं उनके लिये ही हमारी सहानुभूति है। वही वहां सत्याग्रह कर रहे हैं। तो इस संशोधन से सही माने में यह प्रस्ताव जैसा उनका विचार है उसके अनुरूप हो जाय, इसी ख्याल से मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है। मैं आशा करता हूं कि प्रस्तावक महोदय मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। मैंने नागरी प्रचारिणी शब्दकोष देख लिया है। उसमें 'ओरिजिनेटेड' के मानी 'आद्य' 'मूल' के दिये हुए हैं। मुझे आशा है कि इसको स्वीकार किया जायगा।

एक शब्द में मैं भी इस पूर्ण प्रस्ताव के साथ अपना अनुमोदन प्रकट करता हूं और मुझे आशा है कि भवन इसको स्वीकार करेगा।

श्री केशव गुप्त——माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव लंका के प्रवासी भारतवासियों के साथ सहानुभूति प्रगट करने के लिये इस भवन में उपस्थित हुआ है उसका समर्थन करने के लिये और जो संशोधन मेरे भाई मौर्य जी ने भवन के सामने रखा है उसका विरोध करने के लिये मैं यहां खड़ा हुआ हूं। एक समय था कि जब हम गुलाम थे और हमारा निकटवर्ती देश लंका भी गुलाम था और हम दोनों एक ही विदेशी शासन यानी ब्रिटिश हुकूमत के मातहत थे। ब्रिटिश हुकूमत उस समय एशिया के बहुत से भागों में फैली थी और उस समय जबकि हम गुलाम थे हमारे देश के बहुत से लोग अपनी इच्छा के न रहते

हुये भी अंग्रेजी शासन द्वारा मजबूरन दूर-दूर दूसरे देशों में भेजे जाते थे। लंका में भी हमारे भाई नौ दस लाख की तादाद में मौजूद हैं जो वहां अपनी इच्छा से नहीं गये बल्कि वे लंका की आवश्यकता को देखते हुये ब्रिटिश सरकार ने भेजे थे और उस समय यह मुआहिदा हुआ था कि वहां पर उनको भी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो लंका के नागरिकों को और रहने वालों को हैं। उस समय चूंकि हम भी गुलाम थे और वे भी गुलाम थे कोई संविधान न हमारे देश का था और न लंका का था बल्कि गुलामी के जमाने में जो भी क़ानून ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा लादा जाता था उसी से हम लोग शासित होते थे। इसलिये उस समय तो कोई अड़चन नहीं पड़ी, लेकिन जब भारत को स्वतंत्रता मिली और साथ ही जब लंका भी आजाद हुआ तो यह प्रश्न बहुत जटिल बन गया और वह भाई जो भारतवर्ष से बाहर गुलामी के जमाने में गये थे उनकी अब क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगी उस पर गौर करना हमारा कर्त्तव्य है और सही तौर पर यह प्रस्ताव हमारे सामने आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लंका में जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि वह लोग जो भारतवासी वहां गये बहुत बड़ी संख्या में मजबूरन आशा के साथ गये। वहां जाकर वहां की समृद्धि को, पैदावार को बढाया और उस देश को समृद्धिशाली किया और आज लंका की स्वतंत्रता के बाद उनको नागरिक अधिकार न देना और उनको मानवता के अधिकारों से वंचित करना उचित नहीं है और वहां की सरकार के लिये यह अन्याय है। आज बीसवीं सदी में इस तरह की कार्यवाही हो और यू० एन० ओ० की असेम्बली चुप रहे यह बड़ी शोचनीय बात है। इस प्रस्ताव के भवन में पेश होने से कोई वैधानिक अड़चन नहीं पड़ती क्योंकि अगर अब कोई भारतवासी वहां जाय तो उसके साथ तो यह अड़चन पड़ सकती है कि एक आदमी एक देश का ही बाशिन्दा हो सकता है लेकिन जब लंका में ही पैदा हुये और पहले से वहां बसे उनकी वहां यह मांग करना उचित नहीं है ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। उन भारतवासियों के प्रति जो वहां पहले से मौजूद हैं मांग करना चाहे वह किसी भी देश में हों, अफ़्रीका में हों, कैनाडा में हों, एक सत्य बात है और ठीक है।

मौर्य जी के संशोधन के बारे में मुझे यह कहना है कि मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि "आद्यवासी" रखा जाय। इस के मानी तो यह होंगे कि आप केवल उन्हींके साथ सहानुभूति करते हैं जो कि वहां ओरिजिनेट (पैदा) हुये, या जो वहां पर पैदा हुये या जिनके मां बाप वहां पैदा हुये। लेकिन बहुत से भारतवासी ऐसे हो सकते हैं जो स्वतंत्रता से पहले वहां पहुंचे। तो उनके इस संशोधन के रहते हुये यह हो सकता है कि यह संशोधन उनके लिये पर्याप्त न हो। उनका यह संशोधन हमारे इस प्रस्ताव को एक प्रकार से सीमित करता है। इस कारण मैं उनके इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि प्रस्ताव को किसी प्रकार से मैं सीमित करना नहीं चाहता। जो शुभ कामना का प्रस्ताव यहां उपस्थित किया गया कि उनका सत्याग्रह सफल हो और शांतिपूर्वक वह अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें ऐसा करके सदन ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है और चारों ओर से भवन में इसका स्वागत हुआ और मैं भी उस स्वागत में अपने को सम्मिलित करता हूं और यह शुभ-कामना करता हूं कि उनका सत्याग्रह शांतिपूर्वक चले और वह शीघ्र से शीघ्र अपने नागरिक अधिकारों को प्राप्त करें।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, इस मसले पर अब काफ़ी बहस हो चुकी है। मेरा यह प्रस्ताव है कि अब यह बहस बन्द की जाय।

माननीय अध्यक्ष—इस प्रस्ताव के लिये मैं समझता हूं कि अभी थोड़ा सा और समय देना उचित होगा क्योंकि दूसरा कोई कार्य भी नहीं है और कुछ माननीय सदस्य जो बोल भी नहीं सके या अपने विचार प्रगट नहीं कर सके, यह मौका उनके लिये मैं देना उचित समझता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जिन सुन्दर शब्दों में इस प्रस्ताव के ऊपर अपना भाषण दिया था और समूची परिस्थिति पर प्रकाश डाला था उसके उपरान्त मैं यह आवश्यक नहीं समझता था कि मैं भी कुछ कहूं। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जो बहुत से भाषण हुये हैं उनसे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे मन में इस विषय में बहुत कुछ संदेह भी है, ऐसी आशंकायें हैं जो नहीं होनी चाहिये। यह प्रस्ताव लंका के संबंध में है। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि इस प्रस्ताव की इस सदन में कांस्टिट्यूशनली (वैधानिक रूप से) कितनी आवश्यकता थी। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से इसका जो कुछ महत्व था वह इस संबंध में केन्द्रीय सरकार में हमारे प्रधान मंत्री के भाषण के बाद पूरा हो चुका। प्रान्तीय प्रादेशिक दृष्टि से अगर इसका कुछ महत्व है तो हमसे बहुत अधिक मद्रास और दक्षिणी भारत से इसका संबंध है। मैं लंका हो आया हूं, रामचन्द्र जी की सेना के साथ नहीं। इधर लंका जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मेरा वहां के भारतीयों से बहुत कुछ परिचय हुआ है। वहां के भारतीयों से ही नहीं, प्रवासी भारतीयों के साथ भी मेरा बहुत कुछ संबंध रहा है। मुझे यह कहने में गर्व होता है और गर्व के साथ ही साथ संतोष भी होता है कि स्वर्गीय दीनबन्धु सी० एफ० एन्ड्रूज के साथ मिल कर प्रवासी भारतीयों के संबंध में मैंने बहुत कुछ मेहनत और परिश्रम भी किया है उस जमाने में जब कि मेरी उम्र बहुत कम थी। इसलिये इस समस्या के साथ थोड़ी बहुत जानकारी होने के कारण मैं यह समझता हूं कि प्रवासी भारतीयों के संबंध में इस सभा-भवन में विचार करते समय सब गुत्थियों को थोड़ा बहुत हमें समझना चाहिये जिनमें हमारे पढ़ने के कारण लाभ के बदले हानि भी हो सकती है। हमने प्रस्ताव के संशोधन में आदिवासी का भी कुछ जिक्र किया है।

माननीय अध्यक्ष—उन्होंने शब्द "आदिवासी" का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि "आद्यवासी" का इस्तेमाल किया है। 'जो आदि में यहां रहते थे फिर लंका में चले गये' यह अर्थ वह उसका लगाते हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--अध्यक्ष महोदय, यह समस्या आज की नहीं है। बहुत दिन हुये यानी आज से १२८ वर्ष पहले सन् १८३० के जमाने में पहली बार इस भारतवर्ष से कुली के रूप में बहुत से मजदूर देश के बाहर भेजे गये थे। पहला जत्था मजदूरों का १५० भारतीयों का था। वहीं की शुगर मिल में काम करने के लिये वे भेजे गये थे। इसी देश के लोगों ने सुमित्रा, जावा इत्यादि द्वीपों में जाकर भारतीय सभ्यता का प्रचार किया था। इस देश के लोग केवल इसलिये जाते थे कि हमारे सिद्धांत यानी "कृणवन्तो विश्वमार्यम्" का प्रचार हो यहां के लोग पहले पहल सन् १८३० ई० में कुली बनाकर भेजे गये थे। इसके ३० वर्ष के बाद पहले पहल रबर और चाय के खेतों में काम करने के लिये यहां से लंका में कुली लोग भेजे गये थे। डच शासन से आज तक वह प्रथा उसी तरह से चली आ रही है। सन् १९२२ ई० के जमाने में भारतीय सरकार ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि भारतीयों के साथ क्या-क्या अत्याचार और जुल्म होते हैं और सन् १९२२ में जो ऐक्ट बना था जिसके द्वारा भारतीय सरकार ने पहले पहल लंका में भारतीयों के न जाने का निर्णय किया था और सन् १९२२ के बाद १९२७ में भारतीय कुलियों के वेतन के संबंध में वहां बहुत आन्दोलन चला और उसके परिणामस्वरूप वहां पर लंका की सरकार ने हमारे कुलियों की मजदूरी तय की और सन् १९३२ में वहां पर फिर भारतीय कुलियों की मजदूरी घटी जब वहां भारतीय कुलियों की फिर जरूरत पड़ी तो सन् १९३७ ई० में भारतीय सरकार ने फिर से कुली भेजने की अनुमति दे दी पर इसके साथ-साथ यह शर्त जरूर लगाई थी कि इनको अधिक मजदूरी दी जाय।

सन् १९३७-३८ ई० में फिर भारतीय कुली यहां से लंका गये। इस तरह भारतीय वहां पर दस वर्ष पहले का बच्चा भी है जो लंका में रहता है। आज उसके नागरिक अधिकारों का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न लंका में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी बतलाया कि किस तरह से सन् १९२५ ई० में आस्ट्रिया और न्यूजीलैण्ड में और सन् १९४५ में कनाडा में भारतीयों को नागरिक अधिकार मिले थे।

अध्यक्ष महोदय, सन् १९४६–४७ के आंकड़े देखें, हो सकता है कि आज के वे थोड़े बहुत गलत हों, पर यह जरूर मालूम होगा कि सन् १९४६–४७ में बृटिश कामन वैल्थ में छब्बीस साढे छब्बीस लाख भारतीय थे। उनमें से करीब सात लाख ३२ हजार सीलोन में रहते थे। आज इनकी संख्या बढ़ गयी है फिर भी ७ लाख ५० हजार से ज्यादा नहीं होंगे। फिर भी यह इतनी बड़ी संख्या है जिसको नगण्य नहीं कह सकते हैं। मैंने कोलम्बो की सड़कों पर और लंका के कोने-कोने में भारतवासियों को देखा है लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई भारतीय मुझे नहीं मिला। शायद ही कोई भारतीय मिला हो। मद्रास के और उड़ीसा के लोग मुझे मिले और उनमें बहुत लोग ईसाई थे, हिन्दू और मुसलमान तो बहुत कम थे और बौद्ध तो प्रायः नहीं थे। उनकी दशा जो मैंने देखी वह यह थी कि कोलम्बो में जो बड़े बड़े व्यवसाय हैं और वह ज्यादातर भारतीयों के ही हाथ में हैं। आज वही भारतीय वोट्स के अधिकार से वंचित किये जाते हैं तो इसलिये नहीं वंचित किये जाते कि वह भारतीय हैं बल्कि सीलोन की सरकार अपनी उस पालिसी को जो वहां की ट्रेड और कामर्स को सीलोनाइज करना चाहती है यानी उनका संकाकरण करना चाहती है। इसीलिये वहां पर ऐसी नीति बरती जा रही है, जिससे हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस समय भवन में इसके साथ-साथ राष्ट्र की, समाज की और प्रजातंत्र की व्याख्या मिला दी गयी है। इसका वास्तव में मुझे दुःख होता है। इसलिये कि आज न कहीं राष्ट्र की व्याख्या है और न कहीं राज्य की व्याख्या है, न एकतंत्र की कहीं व्याख्या है और न जनतंत्र की कहीं व्याख्या है, आज तो व्याख्या अधिकार की है।

मलाया में भारतीयों के साथ अन्याय का जो सबसे पहला प्रयत्न हुआ है वह समाजवादी शासन में ब्रिटेन के द्वारा हुआ और ट्यूनीशिया में सबसे बड़ा अत्याचार, मुझे खेद के कहना पड़ता है कि फ्रेंच समाजवादियों के हाथों हुआ था। किन्तु जिनके मन में राज्य के या प्रजातंत्र के विषय में शंका हो मैं उनसे बहुत ही साग्रह अनुरोध करता हूं कि यदि वे और किसी की पुस्तक न पढ़कर केवल एक पुस्तक पढ़ लें तो सदा के लिये उनकी शंकाओं का समाधान हो सकता है और उस पुस्तक के लेखक का नाम है बोजांके और बोजांके का नाम सर्वविदित है और उसकी पुस्तक का नाम है सावरेनिटी और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और वह आपकी इन शंकाओं का समाधान करेगा। एक उपदेश हमें मिलेगा और वह उपदेश वही है जो कि महाभारत काल में दिया गया था। वही आजकल के जमाने के लिये भी सत्य सिद्ध होता है। वह सिद्धांत है "सूच्याग्रं न दास्यामि बिना युद्धेन केशव" यही सबसे सुन्दर सिद्धांत कि सुई की नोक के बराबर भी कोई बिना युद्ध के नहीं देता। इन प्रवासी भारतीयों की जो समस्यायें हैं उनका निराकरण कैसे होगा। सत्याग्रह से होगा या नैतिक तपस्या के बल पर होगा यह मेरे लिये कहना बहुत कठिन है लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने जिन सुन्दर शब्दों में सदन के समक्ष बातें रखी हैं वह सत्य हैं। आज ऐसा कोई नहीं है जिसकी सहानुभूति इस प्रस्ताव के साथ न हो, किन्तु सहानुभूति के साथ इस उत्तर प्रदेश की जनता, सरकार या सदन क्या कर सकेगा, इसमें मुझे कुछ आशंका होती है। यह एक अच्छा विषय था। बहस का मौका था वह हो गया उससे उनका कुछ कल्याण भी होगा लेकिन मैं आशा करता हूं कि ऐसे अवसर हमको मिलते रहेंगे और हम उन प्रवासी भारतीयों की समस्याओं पर विचार करते रहेंगे जिनका हल मानव हित के लिये आवश्यक है।

श्री चन्द्र सिंह रावत--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। भारतवर्ष का अतीत बतलाता है कि इस देश की सार्वभौम सत्ता संसार में बहुत दूर-दूर स्थित टापुओं में और देशों में रही है। लंका ही क्या सुदूरपूर्व के जितने भी देश हैं जावा,

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

बोर्नियो, सिंगापुर और ब्रह्मा इत्यादि इन सब में भारतवर्ष का राज्य फैला हुआ था। बड़े प्रकांड विद्वान् साहित्य और संस्कृति के पंडित यह बताते हैं कि भारतवर्ष की संस्कृति और उसका साहित्य इन सारे देशों में छाया हुआ था और वह संस्कृति आज भी उन देशों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिये प्रस्तुत है। इन देशों में भारतवर्ष के बहुत से नागरिक वर्षों से अपना जीवन व्यतीत करते चले आ रहे हैं। आज उन प्रवासी भारतीयों को उन देशों से निकाल बाहर किये जाने वाले नये-नये कानूनों की व्यवस्था की जा रही है और उनको नागरिकता के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने जिस उच्च चरित्र के निर्माण स्रोत को इस दुनियां में बहाया है, आज लंका स्थित प्रवासी भारतवासी उसका सबूत उपस्थित कर रहे हैं। महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की ज्योति को आज उन्होंने उस देश के अन्दर जगमगाने का प्रयास किया है। मुझे पूर्ण आशा है कि यह सत्य और अहिंसा की लड़ाई, जो प्रवासी भारतीयों ने लंका में छेड़ी है, वह भारतवर्ष के लिये बड़े गौरव की बात है और यह इस बात को सिद्ध करती है कि इस देश की महत्ता आज संसार को सुन्दर जीवन प्रदान करने के लिये चारों ओर फैल चुकी है। मैं फिर बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के अन्यायपूर्ण बरताव से बहुत सी शक्तियां जागृत हो रही हैं। एशिया और भारतवर्ष के निवासियों को उन देशों में मुसीबत की जिन्दगी व्यतीत करने पर मजबूर कर रहे हैं ताकि भारतवर्ष के लोग सब देशों को छोड़कर वापस भारतवर्ष को चले आयें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार की व्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। इस प्रकार के कानून और इस प्रकार की जितनी बातें हैं वह चन्द दिनों के अन्दर ही दुनियां से मिट जायेंगी। मैं बताना चाहता हूं कि दुनियां के ऊपर जो तूफान बन कर आता है वह तूफान की तरह ही नष्ट हो जाता है और अत्याचारी व्यवस्था शीघ्र ही मिट जाया करती है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस सदन का यह भी फर्ज है कि वह यूनियन सरकार के जरिये यह प्रार्थना करे कि जो कुछ भी प्रेशर (दबाव) लंका सरकार के ऊपर इन प्रवासी भारतीयों को उनके पूरे-पूरे हक देने में की जा सकती हो, उसको पूरी तरह से अमल में लाये। इतना ही नहीं परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सिम्पैथी, (सहानुभूति) हमारा नैतिक समर्थन इन भारतीयों के साथ है। बहुत से लोग यह कहेंगे कि इन शब्दों से किस प्रकार उनके अन्दर स्पिरिट, आत्म सम्मान और आत्मबल पैदा होगा। शायद इन बातों को बहुत कम लोग समझते हैं। कवि के शब्दों में मैं आपको बता देना चाहता हूं। कवि कहता है--

"Many things are brought by prayer. Than this world dreams of."

(जिनकी विश्व कल्पना कर सकता है, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक कार्य प्रार्थना से सिद्ध हो सकते हैं।)

जिसके प्रति आपकी वह प्रार्थना होती है उस व्यक्ति के अन्दर, उस संस्था के अन्दर, एक आत्मबल जागृत होता है और उनमें नैतिक बल बढ़ने से वे अपनी लड़ाई की ओर अग्रसर होते हैं और अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने में उनको मदद मिलती है। इस सदन में जो भी सहानुभूति लंका निवासी भारतीयों के प्रति प्रकट की गई है उससे हमारे भाइयों को बड़ी ताकत मिलेगी। हमारे भारतवर्ष के रहने वाले, सभी भारतवासी, उनकी इस नैतिक लड़ाई के पीछे हैं और उनकी विक्ट्री (विजय) इस लड़ाई में अवश्यम्भावी है।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव में अमेंडमेंट लाया गया है अगर उसके मानी यह हैं कि वह प्रवासी भारतवासी जो लंका में रहते हैं या लंका स्थित प्रवासी भारतवासी तब तो मुझे उसके लिये कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर उसके मानी इससे कुछ दूसरे हैं जिससे वह भारतवासी छूट जाते हैं जो कुछ दिनों से हैं या चन्द वर्षों से हैं तो मुझे उसपर एतराज है। हमारा प्रस्ताव इतना विस्तृत होना चाहिये कि उसमें वे सभी भारतवासी आ जायं जो वहां रहते हैं चाहे वे वहां बहुत दिनों से रहते हों या चन्द दिनों से वहां गये हों। उन

सब को हमारा नैतिक समर्थन प्राप्त है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि व उनको बल दें जिससे वे अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। भारत सरकार से हम प्रार्थना करते हैं कि वह जितनी भी मदद उनकी लड़ाई में की जा सकती हो वह देने का प्रयास करे।

श्री उमा शंकर मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय जो प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश किया गया है वह बड़े महत्व का प्रस्ताव है। जिस तरह से हमारे पूज्य बापू ने मानवता के लिये उद्गार प्रकट किया था इस समय लंका के प्रवासी भारतीयों के लड़ाई छेड़ने पर मुझे वही सुन्दर उद्गार याद आते हैं। इस समय मुझे यह भी याद आता है कि यह वही लंका है जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम चन्द्र जी ने जाकर विजय प्राप्त की थी। यह वही लंका है जहां पर हमेशा देवासुर संग्राम होता रहा है। आज भी प्रवासी भारतीयों के नागरिक अधिकार के प्रश्न को लेकर वहां लड़ाई चल रही है। मुझे इस समय याद आता है कि जब लंका में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र और रावण में लड़ाई चल रही थी तो विभीषण को इस बात की आशंका हुई थी कि—

"रावण रथी विरथ रघुवीरा।
देखि विभीषण भयहु अधीरा॥"

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य यहां पर गायन न शुरू कर दें।

श्री उमा शंकर मिश्र—कहने का मेरा लक्ष्य यह है कि वहां पर जो संग्राम चल रहा है वह दानव और मानव का संग्राम है। इस मौके पर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम चन्द्र और पूज्य बापू का मानवता का वह आदर्श याद आता है जो उन्होंने सत्य और अहिंसा से लड़ाई लड़ने के लिये कहा है। लंका प्रवासियों के लिये यह परमावश्यक है कि वे पूज्य बापू के सुन्दर आदर्श को लेकर आगे बढ़ें तो वे अपने कार्य में अवश्य सफलीभूत होंगे। भगवान ने रावण से विजय पाने के लिये यही धर्म रथ बतलाया था—

"सखा-धर्म मय असरथ जाके।
जीतन कहं न कतहुं रिपु ताके॥"

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्य कृपा करके इस प्रकार गायन के साथ कोई श्लोक यहां न पढ़ें।

श्री उमाशंकर मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय लंका में जो संग्राम चल रहा है वह पूज्य बापू के सुन्दर आदर्श के ऊपर चला तो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां प्रवासी भारतीयों की अवश्य विजय होगी। क्योंकी मानव को मानवता के गुणों से ही शोभा और विजय प्राप्त होती है जैसा कि एक कवि ने दोहा कहा है—

"मानुष तेरा गुण बड़ा मास न आवे काज।
हाड़ न द्वाभरण वन सके त्वचा न बाजन वाज॥"

इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस बात की आशा रखता हूं कि भगवान वहाँ के भारतीय प्रवासियों को विजयी बनावें और उनके नागरिक अधिकारों को दिला दें।

श्री मिही लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो कि इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है इसके संबंध में माननीय खाद्य मंत्री के समर्थन के बाद में तो कोई आवश्यकता नहीं समझता कि इसके संबंध में कोई विचार प्रकट किया जाय। इसलिये कि माननीय खाद्य मंत्रीने इस प्रस्ताव की महत्ता में और आवश्यकता के ऊपर विशेष प्रकाश डाल दिया है।

परन्तु सदन के लिये कुछ आवश्यकता इस प्रकार की प्रकट हुई कि इसके ऊपर और विचार प्रकट किये जायं। मैं तो यह समझता हूं कि लंका के भारतवासियों का यह अहिंसात्मक सघर्ष वहां के निवासियों तथा सरकार के हृदय परिवर्तन के लिये ही नहीं है बल्कि संसार में जितने मानवता और मानवोचित अधिकारों को कुचलने वाले लोग हैं उन तमाम के हृदयों को

[श्री मिही लाल]

प्रकाश देने वाला संघर्ष है। मेरा तो ऐसा विचार है कि संसार में जितने लोग भी जुल्म से मानवता पर अपना कब्जा करना चाहते हैं इस संघर्ष का प्रभाव उन सभी पर निश्चित रूप से पड़ेगा और इस संघर्ष से हमारे लंका के भारतवासियों को ही मुक्ति नहीं मिलेगी बल्कि मेरा ऐसा विश्वास है कि इस अहिंसात्मक संघर्ष से संसार में जो दलित लोग हैं उनका भी लाभ होगा। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उन तमाम भारतवासियों को जो लंका में अपने नागरिकता के अधिकार पाने के लिये अहिंसात्मक संघर्ष कर रहे हैं हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, इस मसले पर काफी वाद विवाद हो चुका है और दोनों ओर के काफी सदस्य बोल चुके हैं। इसलिये अब बहस बन्द कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब इस प्रश्न पर बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के आदरणीय सदस्यों को और सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की जनता की भावना को दृष्टि में रख कर और अपने हृदय की भावना को दृष्टि में रख कर इस प्रस्ताव पर अपने समर्थन की राय दी। अभी एक शाब्दिक संशोधन श्री द्वारका प्रसाद मौर्य ने इसके संबंध में उपस्थित किया है उसको स्वीकार करने से पहले मैं 'आद्यवासी' 'और भारतीय नागरिक' शब्दों के संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं। मैंने अपने प्रस्ताव में भारतीय मूल्री शब्द रखा था उसका मतलब यह था कि जो वहां के भारतीय निवासी हों, लेकिन वहां के सदा निवासी हो गये हैं और वहां अपनी नागरिकता के लिये आन्दोलन करना चाहते हैं। इसलिये मैं भवन के सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि मेरा मतलब यही है कि जो भारतीय लंका में आकर बस गये हैं उनको वहां पर वोट के अधिकार से वंचित किया गया है और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिये वह वहां पर आन्दोलन कर रहे हैं। 'आद्यवासी' का मतलब भी यही है कि जो पहले भारतीय तो रहे हैं लेकिन लंका में जाकर बस गये हैं और बहुत दिनों से वहां पर रह रहे हैं। वहां की आबोहवा में वह इस तरह से घुलमिल गये हैं कि वह वहां के ही रहने वाले हो गये हैं और हर प्रकार से लंकावासी हो गये हैं। वहां अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिये वह आन्दोलन कर रहे हैं। मद्रास असेम्बली ने भी जो प्रस्ताव पास किया है उसमें भी करीब इसी तरह से 'आद्यवासी' शब्द को इस्तेमाल किया है जिसका मतलब यही निकलता है जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया। वह प्रस्ताव अंग्रेजी में इस प्रकार से है :—

"That, this assembly expresses its deep sympathy with those citizens of Ceylon, who having been settled in Ceylon for the benefit and development of the island and become citizens of Ceylon are by a series of measures sought to be excluded from the rights of citizenship conferred on the people of Ceylon.

"That, this Assembly extends to these unfortunate citizens of Ceylon its fullest symathy in their struggle for justice and equal civil rights

That, this Assembly appeals to the better mind of the people of Ceylon to extend their support to their unfortunate brethern in their struggle for their legitimate rights."

That, this Assembly recommend to the Government to forward the above resolution to the Government of India for necessary action."

(यह सभा लंका के उन नागरिकों से गहरी सहानुभूति प्रकट करती है जो द्वीप के लाभ और विकास के लिये भारत से लंका में जाकर बस गये और लंका के नागरिक बन गये

कानूनों के द्वारा नागरिकता के अधिकारों से वंचित किये जा रहे हैं जो लंका के लोगों को प्राप्त हैं।

यह सभा लंका के उन अभागे नागरिकों के प्रति न्याय और समता अधिकार के लिये उनके संघर्ष में पूर्ण सहानुभूति प्रकट करती है।

यह सभा लंका वासी सत्पुरुषों से प्रार्थना करती है कि वे अपने अभागे भाइयों का वैध अधिकारो की प्राप्ति के संघर्ष में समर्थन करें। कि यह सभा सरकार से सिपारिश करती है कि वह इस संकल्प को आवश्यक कार्रवाई के लिए भारत सरकार को प्रेषित कर दे।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि वहा पर भी यही भावना रखी गई है। वह वास्तव में भारतीय नहीं हैं बल्कि सीलोनीज हैं वह पहले भारतीय थे लेकिन अब वहां बस गये हैं।

भारत सरकार ने भी समय-समय पर इस बारे में जो घोषणायें कीं और जो प्रस्ताव वगैरह भेजे या जो भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणायें कीं, उनमें यह स्पष्ट था कि ये सीलोनीज हैं और इसलिये उन्हें सीलोनीज सिटीजनशिप के अधिकार मिलने चाहियें। मैं समझता हूं कि यह भवन के सब सम्मानित सदस्यों को स्पष्ट हो जाना चाहिये। इतना एक्स-प्लेनेशन देने के बाद में श्री द्वारका प्रसाद जी मौर्य के संशोधन पर आता हूं। उनके संशोधन को देखने से जो मुझे मालूम हुआ है उसके संबंध में मैं इतना ही कहूंगा कि वह ठीक है मगर यह शब्द 'अदिवासी' नहीं है बल्कि 'आद्यवासी' है। मैं उनके संशोधन को मानता हूं, तथा उसे स्वीकार करता हूं।

इसके साथ-साथ दक्षिणी अफ्रीका के बारे में श्री बेवकी नन्दन जी ने कुछ कहा। दक्षिण अफ्रीका के संबंध में प्रस्ताव लाने का मंशा सबका था। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय गुप्त जी से भी बात की और वह भी इससे सहमत थे। लेकिन यह समझा गया कि वहां सत्याग्रह आजकल ठीक नहीं चल रहा है और वहां वस्तुस्थिति दूसरी है। इसलिये उसे इस प्रस्ताव में लाना जरा उचित नहीं होता। इसलिये मैंने सब की राय लेकर माननीय मंत्री गुप्त जी की राय लेकर और अपने विरोधी दल के नेता की भी राय लेकर यह उचित समझा कि साउथ अफ्रीका का प्रस्ताव हम किसी दूसरे दिन रखें। इन्हीं कारणों से इसमें दक्षिणी अफ्रीका का कोई जिक्र नहीं आ सका। श्री केशव गुप्त जी ने कहा कि यदि इसका 'स्कोप' बढ़ा होता तो अच्छा था। हम चाहते हैं कि लंका की सरकार भारतीयों को नागरिकता प्रदान करे तो वह ठीक होता। मैंने पहले प्रस्ताव को ऐसा लिखा भी था। लेकिन नियम १७३ (१) के अनुसार वह रेजोल्यूशन (संकल्प) के रूप में आ सकता था, मोशन (प्रस्ताव) के रूप में नहीं आ सकता था।

इस संबंध में मुझे अधिक नहीं कहना है। मैं इतना ही अन्त में कह सकता हूं कि इस प्रस्ताव को हमारी प्रांतीय सरकार द्वारा भारत सरकार के पास भेज दिया जाय ताकि उससे हमारे प्रदेश की भावनायें प्रदर्शित हो सकें और इस भवन के सभी आदरणीय सदस्यों की भावनाओं का प्रदर्शन हो सके।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। लंका और भारत दोनों ने ही भगवान बुद्ध से प्रेरणायें प्राप्त की हैं। यद्यपि आज यहां बौद्ध बहुत कम हैं तो भी हमारा और लंका का संबंध तो भगवान बुद्ध की परम्परा के नाते और भी दृढ़ हो जाता है। हमारी और लंका की संस्कृति भी इस कारण से एक सी ही चली आई है। मैं समझता हूं कि इसी भावना में हमारा यह प्रस्ताव माना जाना चाहिये। मैं पुनः इस प्रस्ताव को भवन के सामने प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि सदस्य इसे एक मत होकर स्वीकार करेंगे।

माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे इस पर और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जो संशोधन उपस्थित किया गया है मैं भी उससे सहमत हूं और उसे, जिन्होंने प्रस्ताव को पेश किया था, उन्होंने भी मंजूर कर लिया है।

माननीय अध्यक्ष—अब मत देने का तरीका इस प्रकार होगा । मैं प्रस्ताव पढ़े देता हूं और उसके बाद संशोधन पढ़कर उसके ऊपर पहले मत ले लूंगा । इसके बाद अगर संशोधन स्वीकृत होता है तो संशोधित प्रस्ताव पर मत लूंगा । मूल प्रस्ताव यह है

"यह सदन लंका के भारतीयों की उचित मांगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुये उनके शान्तिपूर्ण सत्याग्रह के लिये हार्दिक बधाई देता है ।"

संशोधन इस प्रकार है "भारतीयों" के स्थान पर "आद्य वासी भारतीय नागरिकों" शब्द रख दिये जायं ।

प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

माननीय अध्यक्ष—अब मैं संशोधित प्रस्ताव लूंगा । प्रश्न यह है कि यह सदन "लंका के आद्यवासी भारतीय नागरिकों की उचित मांगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुये उनके शांतिपूर्ण सत्याग्रह के लिये हार्दिक बधाई देता है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विधान पुस्तकालय समिति की नियुक्ति

माननीय अध्यक्ष—यहां की जो लाइब्रेरी कमेटी है उसके संबंध में जो मैंने नाम रखे हैं, मैं उनको सदन को सूचित कर देना चाहता हूं । पहले लाइब्रेरी कमेटी में विधान सभा और विधान परिषद् के १५ सदस्य हुआ करते थे अब सदन का विस्तार हो जाने के कारण यहां के और वहां के मिलाकर २५ की संख्या नियुक्त करता हूं जिसमें आज के रोज मैं २० का नाम कमेटी में रखता हूं और बाकी ५ के बारे में जैसे-जैसे मैं लोगों में उत्साह देखूंगा जब जुलाई का सेशन होगा उस वक्त मैं भवन को ५ सदस्यों की नियुक्ति की सूचना दे दूंगा । जो नाम मैंने इस वक्त रखे हैं वे इस प्रकार हैं:—

१—श्री हरगोविन्द पंत उपाध्यक्ष	एम० एल० ए०	सभापति
२—श्री मंगला प्रसाद	,,	सदस्य
३—श्री महाराज सिंह	,,	,,
४—श्री इंतिजा हुसैन	,,	,,
५—श्री राम स्वरूप गुप्त	,,	,,
६—श्री राम सहाय शर्मा	,,	,,
७—श्रीमती सईदा जहां बेगम मल्फी	,,	,,
८—श्री मुकुट बिहारी लाल	एम० एल० सी०	,,
९—श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी	,,	,,
१०—श्री महावीर सिंह	,,	,,
११—डाक्टर ईश्वरी प्रसाद	,,	,,
१२—श्रीमती महादेवी वर्मा	,,	,,
१३—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा	एम० एल० ए०	,,
१४—श्री नारायण दत्त तिवारी	,,	,,
१५—राजा वीरेन्द्र शाह	,,	,,
१६—श्री पुत्तलाल	,,	,,

१७—श्री अज़ीज़ इमाम	एम० एल० ए०	सदस्य
१८—डाक्टर सीताराम	,,	,,
१९—श्री राम लखन	,,	,,
२०—श्री कैलाश प्रकाश	,,	,,

ये २० नाम इस कमेटी में अभी मैं सूचित करता हूं। बाकी ५ के लिये स्थान रिक्त रहेंगे।

अब यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित होता है।

(इसके पश्चात् सदन ३ बजकर ५५ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
३१ मई, १९५२।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२७ एल० ए०—१९५२—८५०।